हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार 11 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

11.12.2018/1100/RKS/DC-1

<u>प्रश्न संख्याः 307</u>(स्थगित)

मुख्य मंत्रीः सूचना एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रश्न संख्याः870</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वां चैनेलाइजेशन ऊना जिला की लाइफ लाइन है। इसके फेस-IV के काम के लिए 922 करोड़ रुपये की राशि कांग्रेस शासन काल में स्वीकृत हुई थी और इसमें 446 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक अच्छे भले चल रहे प्रोजैक्ट के काम को आधे रास्ते में रूकवाने के क्या कारण रहे? वे कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रोजैक्ट को अधर में रोक दिया? माननीय मंत्री जी आपका लगातार बयान आ रहा है कि इस प्रोजैक्ट के काम के लिए जो बाकी राशि है, वह सारी स्वीकृत हो चुकी है। जबकि आप प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि अभी 50 करोड़ रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हुई है। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को बताने चाहेंगे कि जो इस कार्य के लिए शेष राशि बची है, वह सारी स्वीकृत हो चुकी है? दूसरा, जो टैंडर्ज पहले हो चुके थे उनकी क्या स्थिति है और जो टैंडर्ज दोबारा करवाए गए हैं, वे कितनी राशि के हैं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी ने स्वां चैनेलाइजेशन के बारे में प्रश्न पूछा है। इन्होंने फेस-IV के बारे में नहीं पूछा है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान स्वां चैनेलाइजेशन के बारे में दिलाना चाहता हूं। स्वां चैनेलाइजेशन के फेस-I के लिए कुल 106 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2000-2008 के बीच खर्च की गई और यह राशि नाबार्ड से स्वीकृत हुई थी। 106 करोड़ में से 76 करोड़ रुपये आई.पी.एच. विभाग द्वारा खर्च किए गए हैं और शेष राशि दूसरे विभागों को जारी की गई थी। स्वां

चैनेलाइजेशन के अंतर्गत मुख्यतः ऊना और हरोली विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में सारा काम हुआ है। स्वां चैनेलाइजेशन के फेस-II में 235 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और यह राशि 90:10 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस राशि में से 211 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। फेस-I में जो 76 करोड़ रुपये खर्च हुए थे उसमें 2260 हैक्टेयर भूमि को रीक्लेम किया गया था। फेस-II में जो 211 करोड़ रुपये खर्च किए गए उसमें पांच हजार हैक्टेयर भूमि रीक्लेम की गई। फेस-II का काम भी हरोली और गगरेट विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के बीच में हुआ है। स्वां चैनेलाइजेशन के फेस-III में 47 करोड़ रुपये का काम हुआ है क्योंकि यह पैसा राज्य सरकार की तरफ से खर्च किया गया है। फेस-III के तहत ऊना, हरोली और कुटलैहड़ विधान सभा चुनाव क्षेत्र आते हैं। माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है कि इस प्रोजैक्ट के विलम्ब के क्या कारण रहे हैं?

11.12.2018/1105/बी.एस./डी.सी./-1

वैसे तो यह प्रश्न मुझे आपसे पूछना चाहिए था। उस समय हम विपक्ष में और आप सत्ता पक्ष में थे। । आपका चुनाव क्षेत्र और आपके ही जिले से संबंधित यह प्रोजैक्ट है। उस वक्त प्रदेश में आपकी सरकार थी। क्या कारण रहे, क्यों इस प्रोजैक्ट में डिले किया गया। डिले के कारण मेरे से ज्यादा आप भलि-भांति जानते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही प्रदेश में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी हमने इस प्रोजैक्ट पर तभी से अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। है। इस प्रोजैक्ट के लिए भारत सरकार से 922 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। उस 922 करोड़ रुपये में से 446 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 476.42 करोड़ रुपया अभी खर्च करने के लिए बाकी है। इस प्रोजैक्ट के निर्माण कार्य में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि यह प्रोजैक्ट बंद होने के कागार पर था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं दिल्ली जा करके भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया और उन्होंने दोबारा से इस प्रोजैक्ट के लिए राशि प्रदान की। आप एक बात कहते हैं कि जो राशि आई है वह सारी-की-सारी स्वीकृत हो चुकी थी। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी 476 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। जो 476 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है उसमें से 105 करोड़ की राशि जारी हुई है। यह दूसरी बात है कि उस 105 करोड़ की राशि वर्ष 2017-18 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में थी उस समय भारत सरकार

से प्राप्त हुई थी । उसमें से 54.64 लाख रुपये जो सीधा इस कार्य पर जाना चाहिए था, वह इस कार्य पर नहीं लगा और वित्त विभाग ने वह राशि अपनी राशि में डाल दी। भारत सरकार का कहना है कि जो भी पैसा हम जिस योजना के लिए देते हैं उस पैसे को किसी दूसरे कार्य के लिए खर्च नहीं कर सकते।अब हमने इसके टैंडर कर दिए हैं। आपका कहना है कि इसके लिए 50 करोड़ रुपया आया है और टैंडर हमने ज्यादा के कर दिए। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के लिए भारत सरकार ने कट ऑफ डेट दी है और वह डेट 31.3.2020 की है। अगर 31.3.2020 से पहले-पहले इस स्वां नदी चैनेलाइजेशन के कार्य को पूरा नहीं किया गया तो आगे प्रदेश को भारत सरकार से इसके लिए राशि प्राप्त नहीं होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो राशि मिली है वह भी वापिस चली जाए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय ठाकुर जय राम जी के नेतृत्व में जो राशि 476 करोड़ की है उसे समय रहते हुए खर्च करेंगे। इसलिए टैंडर हमने ज्यादा के किए हैं। ज्यादा समय टैंडर प्रक्रिया में लगता है यदि यह एक बार में हो जाए तो हमारा समय भी बचेगा और समय बद्ध तरीके से सारा कार्य पूरा किया जा सकेगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देने की बजाए राजनीति ज्यादा की है। यह सबको मालूम है कि स्वां का जो चौथा चरण है वह कांग्रेस सरकार ने 922 करोड़ रुपये का स्वीकृत करवाया था और यह पूरे-का-पूरा स्वीकृत हुआ था। इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 476 करोड़ रुपया अब ले करके आए हैं। यह पूरा प्रोजैक्ट सैंक्शन हुआ था। यह आधा प्रोजैक्ट बन कर तैयार हो चुका था। जिस बात को कहने में आपको गुरेज हो रहा है वह मैं बता देना चाहता हूं। दिल्ली में आपकी सरकार है आपकी सरकार ने स्वां का पैसा आधे-अधूरे में इसलिए रोक दिया ताकि जब आपकी सरकार प्रदेश में बने तब कहें कि अब स्वां के चैनेलाइजेशन का कार्य शुरू होगा। कभी ऐसा हुआ कि ऑन गोइंग प्रोजैक्ट का पैसा रोक दिया जाए? जो पूरा प्रोजैक्ट सैंक्शन हुआ था उसका कार्य नहीं रूक सकता। आपके हमीरपुर सीट के सांसद दिल्ली में आदरणीय उमा भारती जी से मिले और उन्हें कहा गया कि इस प्रोजैक्ट का पैसा रोक दिया जाए और जब इधर के लोग मिलने के लिए गए उन

सब ने सांसद को यही बात कही कि जब तक कांग्रेस की सरकार सत्ता से निकल नहीं जाती पैसा रोके रखो ।

11/12/2018/1110/RG/Hk/1

आपको यहां सच्चाई सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई भी प्रोजैक्ट हिन्दुस्तान में ऐसा है जिसका चलते हुए प्रोजैक्ट का पैसा रोक दिया जाए।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप प्रश्न करिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इसका पैसा रोक दिया। अगर केन्द्र की सरकार पैसा न रोकती तो वर्ष 2017 में यह प्रोजैक्ट तैयार हो जाना था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यह वर्ष 2020 में कम्पलीट होगा। यह प्रोजैक्ट आपकी दिल्ली की सरकार से आपके लोगों की पैरवी करने की वजह से डिले हुआ। क्योंकि आपको यह आदत हो गई है। जैसे आपने सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का काम नहीं होने दिया, जैसे आपने एम्स का नहीं होने दिया।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप प्रश्न करिए। यह एम्स और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। आप सिर्फ अपने प्रश्न से सही सम्बन्धित प्रश्न पूछिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : जैसे आपने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम नहीं होने दिया। इसी प्रकार से आपने ।॥।T का काम भी नहीं होने दिया। ये सारे प्रोजैक्ट्स दिल्ली से मोदी सरकार से रुके हुए हैं और यह प्रोजैक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। आपने जान-बूझकर यह रोका हुआ है।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप अपने प्रश्न पर आइए। आप अपना प्रश्न कर रहे हैं या मैं अगला प्रश्न करूं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप अगला प्रश्न कैसे बोल देंगे? अभी प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : आप सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी पर कहां जा रहे हैं? आप अपना प्रश्न करिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : ये सब चीजें उसके साथ की ही हैं। यह उसके साथ का ही है। अगर आप विपक्ष को समय नहीं देंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको विपक्ष को समय देना पड़ेगा। जब मंत्री राजनीति करते हैं तब आप कुछ नहीं कहते।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप बैठिए। मैंने आपको पूरा समय दिया है और अगर आप पानी के प्रश्न पर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप अपने विषय से संबंधित प्रश्न ही करिए और प्रश्न के ऊपर अनुपूरक प्रश्न भी करिए। आपके ही प्रश्न आगे लगे हैं। आप प्रश्न करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुई थी।---(व्यवधान)-----

अध्यक्ष : मुकेश जी, यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का प्रश्न नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अब वह क्यों नहीं बन रही है? आज दिन तक वह नहीं बन पाई है। क्योंकि वह आपने रोक कर रखी है। आपने सारे प्रोजैक्ट्स रोक कर रखे हैं। --(व्यवधान)---

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप स्वां के बारे में प्रश्न करिए। मंत्री जी, कृपया आप बैठिए। मुकेश जी, आप प्रश्न कीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा बनी है ये तो इसमें यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं। तो यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी कैसे चल सकती है? यह विधान सभा निचले इलाकों के लिए है। --(व्यवधान)---

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप स्वां चैनेलाइजेशन के बारे में ही प्रश्न करें। मैं उसके अलावा कुछ अन्य अलॉऊ नहीं करुंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मंत्री जी, आप तो अपना सोचिए, ऊना में कहीं पर किसी प्लेट पर आपका नाम नहीं लग रहा है।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप प्रश्न कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मुख्य मंत्री जी ने 9 फॉउन्डेशन स्टोन रखे, लेकिन एक भी पत्थर पर आपका नाम नहीं लगा, आपके चुनाव क्षेत्र में भी आपका नाम नहीं लगा और आप विश्राम गृह में बैठे रह गए, आपको किसी ने बुलाया तक नहीं।

Speaker: Not to be recorded it is out of context. आप स्वां चैनेलाइजेशन के बारे में पूछिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्वां का तीसरा चैनल है, तीसरे चरण का फॉउन्डेशन स्टोन प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने रखा। आप बताएं कि जिस समय फान्उन्डेशन रखा गया था, उस समय क्या उसकी राशि स्वीकृत हो गई थी जोकि आप कह रहे हैं
स्टेट से लगाया गया पैसा और बाद में दिल्ली से आया। जब तीसरे चरण का फॉउन्डेशन स्टोन रखा गया तो क्या उसका पैसा आया था? इसके अलावा जो स्वां का चौथ चरण है, इसमें कितना पैसा अब फाइनेन्स के पास है जो सेन्टर से आया हुआ है और अगर सेन्टर ने 50 करोड़ रुपये दिए हैं तो आप रोज़ क्यों बोल रहे हैं? आपके पास वह नोटिफिकेशन है कि आपको 476 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है क्या आप वह नोटिफिकेशन सदन के पटल पर रखेंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया विषय पर ही बोलें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य : श्री मुकेश जी आप सुबह-सुबह ही बहुत गुस्से में हो गए। आप गुस्से में क्यों हो रहे हैं? आज तो कम-से-कम खुश रहो और एक दिन खुशी में बिता लो।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अगर बी.जे.पी. प्रदेशों से जा रही है तो आप कम-से-कम उत्तर तो दे ही दो।

11/12/2018/1115/MS/HK/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने भारत सरकार में कहीं रोकने या टोकने की बात कही है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सरकार में जिस मंत्री के पास संबंधित विभाग होगा और प्रदेश में जो मुख्य मंत्री है तो प्रदेश में किसकी सरकार है और केन्द्र में किसकी सरकार है, वह मायने नहीं रखता है लेकिन इच्छा-शक्ति होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार के पास इच्छा-शक्ति है तो भारत सरकार कभी भी किसी भी काम के लिए इन्कार नहीं करती है। जो आपने प्रश्न किया, मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण को इसीलिए सदन के ध्यान में लाया है क्योंकि अग्निहोत्री जी का ध्यान वहां है। चलो, होता है जैसे मैं आज मंत्री हूं तो धर्मपुर मेरी प्राथमिकता है। वैसे ही आपकी प्राथमिकता हरोली थी। आपने देखा कि हरोली का काम तो हो गया इसलिए अब बाकी स्वां चैनेलाइजेशन का काम हो, चाहे न हो। फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में किसी ने काम रोका या उमा भारती ने ऐसा कहा या वैसा कहा। क्या आपके पास इसका कोई लिखित प्रमाण है कि फलां ने इस प्रोजैक्ट को रोकने का प्रयास किया? ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे भी इस सदन में बहुत समय हो गया है।---(व्यवधान)---

अध्यक्षः मुकेश जी, कृपया उत्तर देने दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः यह प्रोजैक्ट आपने मंजूर नहीं करवाया बल्कि हमने मंजूर करवाया है। आपकी सरकार ने इसका पैसा रोका।

अध्यक्षः मुकेश जी, आप प्रश्न करने के बाद उत्तर तो सुन लीजिए?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः ऐसा है जो आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने इस प्रोजैक्ट को सैंक्शन करवाया,---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण हमें मिलना चाहिए लेकिन आप संरक्षण सरकार को दे रहे हैं। हमें संरक्षण कौन देगा?

अध्यक्षः मुकेश जी, आपने 5 मिनट प्रश्न पूछा इसलिए आप 5 मिनट उत्तर तो देने दीजिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अग्निहोत्री जी ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं कि यह प्रोजैक्ट हमारे समय में मंजूर हुआ है, मैं कहां इन्कार कर रहा हूं कि यह आपके समय में नहीं हुआ है? ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः फिर आप राजनीतिक इच्छा-शक्ति की क्या बात कर रहे हैं? ---(व्यवधान)---

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री आप सुन तो लीजिए। पता नहीं आपको इस बार क्या हो गया है।

अध्यक्षः मंत्री जी आप उत्तर दीजिए फिर मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः ऐसा है, वर्ष 2013 में अंतिम महीने में यह प्रोजैक्ट सैंक्शन हुआ था। उस वक्त जब यह प्रोजैक्ट सैंक्शन हुआ तो वर्ष 2014 में पैसा आया और खुलकर पैसा आया। सबसे ज्यादा पैसा वर्ष 2014 में आया लेकिन जो इसके लिए आगे मेहनत करनी चाहिए थी यानी जिस तरीके से वर्ष 2015 में आपको अगली राशि के लिए काम करना चाहिए था, वह आपकी सरकार ने उस वक्त नहीं किया। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। मैं यह बात सदन में बोल रहा हूं।---(व्यवधान)---

अध्यक्षः राकेश जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः प्रोजैक्ट का पैसा रुका या नहीं? पैसा रुकना ही अपने आप में तथ्य है। आपने सेंट्रल युनिवर्सिटी नहीं बनाई।---(व्यवधान)---

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए। प्लीज, प्लीज।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः पैसा दिल्ली से रोका गया या रुकवाया गया।

अध्यक्षः मंत्री जी उत्तर दीजिए फिर मैंने अगला प्रश्न भी लेना है।

सिंचाई एवं जन-स्वस्थ्य मंत्रीः मुकेश जी, आप आज ज्यादा भटकाव में है। मेरा यह कहना है कि जो कार्य वर्ष 2015-16 में आपको अगली किस्त के लिए करना चाहिए था, वह कार्य आपने नहीं किया। जिसके कारण भारत सरकार से ग्रांट आपको एक टोकन सी मिली। उस टोकन सी ग्रांट मिलने के कारण यह सारा प्रोजैक्ट भारत सरकार के पास लम्बित हो गया और जैसे ही यह प्रोजैक्ट लम्बित हुआ उसके बाद फिर हमारे मुख्य मंत्री जी ने,---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य राकेश जी और विनोद जी, कृपया आप दोनों बैठ जाइए।---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः पैसा दिल्ली से रोका गया।---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मंत्री जी गलत बोल रहे हैं।

अध्यक्षः कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी आप भी बैठ जाएं। मुकेश अग्निहोत्री जी कृपया बैठ जाइए। ---(व्यवधान)---मुकेश जी और राकेश पठानिया जी, कृपया दोनों बैठ जाइए।---(व्यवधान)---

11.12.2018/1120/जेके/वाईके/1

मेरा सभी माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह है क्योंकि यहां पर बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लगे हैं। प्रश्न को प्रश्न की तरह करें और प्रश्न की तरह उत्तर दें। अगले प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा होनी है। बीच में दूसरे सदस्य कृपया न बोलें, उससे माहौल ठीक नहीं रहेगा। माननीय मंत्री जी एक मिनट में उत्तर दीजिए क्योंकि उसके बाद मैं अगला प्रश्न ले लूंगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रोजैक्ट में 33 खड्डें ऐसी हैं जिनको हमनें चैनेलाइज़ करना है। उनका चैनेलाइज़ करने का काम हमने शुरू कर दिया है जो कि जोरों पर है। इनमें गगरेट विधान सभा क्षेत्र की 20 खड्डें हैं, ऊना विधान सभा क्षेत्र की 4 खड्डें

हैं, हरोली विधान सभा क्षेत्र की 5 खड्डें हैं, कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र की 2 खड्डें हैं, चिन्तपूर्णी विधान सभा क्षेत्र की 2 खड्डें हैं और कुल मिला करके 33 खड्डें हैं। मैं, माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को जो मेरे परम मित्र हैं, इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार किसी भी विधान सभा क्षेत्र से कोई द्वेषपूर्ण रवैया नहीं अपनाएगी और न अपनाती है। हमें इस प्रोजैक्ट के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि आप लोगों के सहयोग के वगैर, जिन-जिन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में जो-जो विधायक हैं वे इसके लिए सहयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर हम 31 मार्च, 2020 तक इस कार्य को पूरा करेंगे और जो हमें 476 करोड़ मिला है उसको खर्च करेंगे। इससे लगभग जो सारी भूमि रीक्लेम होगी वह लगभग सात हजार से भी ज्यादा हेक्टेयर हैं। वह सारी की सारी भूमि रीक्लेम होगी जिससे बहुत ज्यादा फायदा उन क्षेत्रों को होगा, ऊना जिला के लिए फायदा होगा।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा हैरान हूं और सचमुच में हमारे विपक्ष के नेता के व्यवहार से थोड़ा चिंतित भी हूं। अच्छी बात है, कई वर्षों के बाद आपका आज अच्छा दिन आया है लेकिन प्रश्न नियमों के अनुसार ही होता है। आपने प्रश्न पूछा प्रश्न पूछने के बाद माननीय मंत्री जी ने जो तथ्य दिए उन तथ्यों पर इन्होंने बहुत विस्तार से ज़वाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा डीबेट होने की आवश्यकता थी। आप हम लोगों को कहते हैं कि हम डराते व धमकाते हैं लेकिन यहां पर सब लोग देख रहे हैं कि आप कैसे डरा व धमका रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन सारी चीजों से इस समस्या का समाधान नहीं है। प्रश्न पर्टिकुलर आपका स्वां चैनेलाइजेशन से है। आप उस प्रश्न के साथ सब कुछ जोड़ रहे हैं। आप सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भी उसमें जोड़ रहे हैं और आई0आई0एम0 भी उसमें जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ कहने से ही हम उसको स्वीकार कर लें और उस पर विश्वास कर लें, विश्वास करना अच्छी बात है लेकिन आपने यहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि हमने पैसा रोका। आपके पास कोई सबूत है? किस ने आपको लिख करके दिया है, आप उसको हमारे पास लाएं । कहने से नहीं हो सकता है कि आपने कहा और हमने मान लिया। .....(व्यवधान).....

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी अभी आपको टाइम देता हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ इसमें यही कहना है कि ठीक है, जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, श्रेय लेने की बात सभी लोग करते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों से हैं इसलिए अपनी-अपनी बात कहते हैं। जो आपका पक्ष है वह आप रखेंगे और जो हमारा पक्ष है उसको रखने का हमारा अधिकार भी है। आप केन्द्र में प्रदेश का पक्ष किस प्रकार से रख पाए यह मैंने पिछले ग्यारह महीने में देखा है। हिमाचल के लिए मात्र चिट्ठी लिखना, अधिकारियों से चिट्ठी चले जाना या मंत्रियों से चिट्ठी चले जाना कि यह प्रोजैक्ट हमें दे दो, इतना पैसा हमें दे दो वह नहीं होता है। उसके पीछे बहुत व्यवहारिक रूप से आपको लगना पड़ता है। अधिकारियों के पास जा करके बात करनी पड़ती है और खुद जा करके बात करनी पड़ती है।

11.12.2018/1125/SS-YK/1

आप बोलते थे कि दिल्ली क्यों जाता है, परिक्रमा करता है। कई तरह के शब्दों का आप लोगों ने ज़िक्र किया है। वह सारे अखबारों का हिस्सा है, उसे दुनिया ने देखा है। लेकिन हमने भी इन 11 महीनों के कार्यकाल में देखा है कि जब तक आप दिल्ली जा करके उन प्रोजैक्टस के पीछे नहीं पड़ेंगे, मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, लगातार उसका फोलो अप नहीं करेंगे तब तक सहजता से पैसा केन्द्र से नहीं मिलता है। हमने 11 महीनों में कोशिश की है और उसका सार्थक परिणाम सामने आया है। अगर आपने भी यह कोशिश की होती तो मुझे लगता है कि शायद परिणाम सार्थक आता। यह बात भी सच है कि स्वां चैनेलाइजेशन की स्वीकृति आपके टाइम में हुई। स्वीकृति होना एक विषय है लेकिन उसका पैसा 2014 में आया, यह भी एक हकीकत है। इसलिए इस प्रोजैक्ट और अन्य प्रोजैक्टस के लिए जो फोलो अप की आवश्यकता थी, उसमें उस वक्त कमी रही है। जिसके कारण बीच में इस प्रोजैक्ट में थोड़ा-सा विलम्ब हुआ है। इससे ज्यादा इसमें कुछ खोदने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। इसमें राजनीति मत करिये। स्वां चैनेलाइजेशन सब का एक बड़ा मुद्दा है और मैं पिछले 20 वर्षों से सुन रहा हूं और अभी खुद

जाकर देखकर आया हूं कि सचमुच में वहां इसको ठीक करने की आवश्यकता है और किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मुझे कहना था।

अध्यक्षः मुकेश जी, आप अपनी अंतिम बात रख सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मुख्य मंत्री जी ने बात रखी, मैं मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन यह फाइल सैंक्शन हुई, हरीश रावत जी अपनी ओथ लेने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे। तब मैंने उनके घर जाकर उनसे रिक्वैस्ट की। आप कहते हैं कि उसका फोलो अप नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश में जा रहा हूं, इस समय मैं इस फाइल को नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि यह हिमाचल में ऊना की लाइफ लाइन है, इस फाइल को आप करके दें। उसके बाद हम गुलाम नबी आज़ाद जी से भी मिलते रहे। प्रोजैक्ट 922 करोड़ रुपया का राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही मंजूर हुआ। फोलो अप हमने किया, पैसा आया। आधे में जब प्रोजैक्ट रुक गया और बताया गया कि जब धड़ल्ले से चैनेलाइजेशन हो रही थी तो आप भी दिल से जानते हैं कि उसमें क्या हुआ है। वह बात आप सदन में रखें या न रखें। मुख्य मंत्री जी, चाहिए तो यह था कि आप अपने मंत्रियों से कहते कि सवालों का उत्तर देते समय राजनीति कम करें। सवालों का जवाब सीधा दें तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी। उलटा आप हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने मंत्रियों को डायरेक्शन्ज़ दें कि सवालों का जवाब सीधा-सीधा दें, उसमें लाग-लपेट न करें तो अच्छा रहेगा।

11.12.2018/1125/SS-YK/3

प्रश्न संख्याः 871

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मुझे भी थोड़ा-सा समय मिले। अगर आप एक प्रश्न को 25 मिनट दे सकते हैं तो 10 मिनट हमें भी इस प्रश्न पर दीजिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह ज़रूरी नहीं है।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको पता लगेगा कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के पैसे का दुरूपयोग किस प्रकार किया है।

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये और विषय पर आएं।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है वह सारा-का-सारा एक किस्म से डिबेटेबल है। आप कह रहे हैं कि प्लेनज़ में बसों की एवरेज़ 5 किलोमीटर प्रतिलीटर आ रही है यह गलत सूचना आपने माननीय सदन में दी है। वास्तव में इसकी एवरेज 2.5 से 3.5 किलोमीटर प्रतिलीटर आ रही है जबकि हिल्ज़ में इससे भी ज्यादा हालत खराब है। उत्तर में आप जिस इंजन की बात लिख रहे हैं, उस इंजन में डेढ़ फुट का गीयर नहीं होता जो इस बस में लगा हुआ है। यह गीयर अमूमन स्लिप करता है और चालक को गाड़ी चलाने में समस्या आती है। जो आप बॉडीज़ की क्वालिटी का जवाब दे रहे हैं, आप किसी भी निष्पक्ष एजैंसी से जांच करवाईये ये बॉडीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हैं। पौने 300 करोड़ रुपये का लोन लेकर इतनी बसें खड़ी कर देना, सही नहीं है। 200 बसें पिछले दो साल से हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर खड़ी हैं, इसके बारे में विभाग ने क्या किया, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैंने "A" 'B""C" मद का जवाब लिखकर दिया है। लेकिन आपने यह कहा है कि बहुत-सी बसें अभी तक ऑफ रोड हैं, वे चल नहीं रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत 791 बसिज़ 90:10 के अनुपात में हिमाचल प्रदेश को देना निश्चित हुआ था।

11-12-2018/1130/केएस/एजी/1

और जब उन बसों को खरीदने की बात आई, तो तत्कालीन सरकार ने 900 MM की 550 बसें 9 मीटर की खरीदी और उसके बाद मध्यम श्रेणी की 9 मीटर की 65 बसें 650 MM की सिंगल डोर की ली जो हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके साथ 12 मीटर की 165 बसें 900 MM की 12 मीटर की ली हिमाचल प्रदेश के लिए यह साइज़ यहां की टोपोग्राफी के हिसाब से उचित नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये बसें चलना प्रारम्भ हुई तो उस समय शायद कुछेक कारण ये रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑप्रेटर्ज़ और एच.आर.टी.सी. दोनों में बैलेंस करने की आवश्यता था लेकिन उनको परेशान करने के लिए कुछ काम किये गए। उसी समय प्राइवेट बस ऑप्रेटर्ज़ की यूनियन माननीय उच्च न्यायालय में गई और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे दिया लेकिन उस समय ठीक तरीके से वे अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रख नहीं पाए और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार बनी, हमने फरवरी में एक हाई पावर्ड मीटिंग की और बहुत अच्छे तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और जून के महीने में हमें यह अनुमति मिली कि इन बसों को चलाया जाए। उसके पश्चात इन 325 में से 140 बसें हमने चला दी हैं अभी 185 बसों को भी, ये बसें चलने लायक तो नहीं है लेकिन हमको बसें चलानी है इसलिए आने वाले दो महीने में हम इन 185 बसों को रोड़ पर ले आएंगें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से बड़ा स्पष्ट रिप्लाई मांग रहा हूं कि प्रति बस आपने AMC कितनी की? 36 लाख रुपये पिछली कांग्रेस सरकार ने एक बस का AMC किया और हिमाचल प्रदेश में एक वर्कशॉप तक नहीं खोली। 36 लाख रुपये प्रति बस एक बहुत बड़ा अमाऊंट होता है। 8 साल की आप AMC कर रहे हैं और एक वर्कशॉप आपके पास प्रदेश में नहीं है? हमारी बसें यहां खराब हो गई। लाहौल में, किन्नौर में और जो ट्राइबल एरियाज़ में बसें चल रही हैं, ये बसें वहां के लिए तो फिट ही नहीं है। अगर एक-आधा बस का एक्सिडैंट हो गया तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। इनकी न तो आप एनुअल मेंटिनेंस कर रहे हैं इसके अलावा आप जितनी भी बसें चला रहे हैं, आपने JNNURM के तहत भी जितनी बसें ली हैं, इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए आप भारत सरकार से 60 करोड़ रु0 अवेल कर सकते थे। वह क्यों नहीं किया? आपने 60 करोड़ रु0 एक गवां दिए । 35-36 लाख रु0 प्रति बस आप एक अलग से पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या आप एक महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में इस परचेजिज़ के ऊपर, घोटाले के ऊपर वाइट पेपर ले कर आएंगे ?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न उचित है। जब हमने 791 बसें खरीदी तो भारत सरकार ने यह कहा कि इनके लिए वर्कशॉप भी हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए ताकि बसों में कोई दिक्कत है तो उसे ठीक किया जा सके। 63 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सारे हिमाचल प्रदेश की जितनी हमारी कार्यशालाएं हैं, उनको ठीक करने के लिए दिया लेकिन जब सरकार लिटिगेशन में पड़ती रही तो 563 करोड़ रुपया हिमाचल का लैप्स हो गया जिसके लिए तत्कालीन सरकार पूरी तरह से दोषी है। माननीय सदस्य ने जो AMC वाली बात कही, मुझे लगता है कि यह इलैक्ट्रिक बसों के सम्बन्ध में हैं और यदि इसकी आपको जानकारी चाहिए तो इसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा, मैंने मंत्री जी से बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया कि आप वाइट पेपर देंगे या नहीं देंगे? दूसरे, जो आपने इलैक्ट्रिक बसें खरीदी हैं वे कितने की खरीदी है और हिमाचल प्रदेश सरकार को उससे कितना बचाव हुआ तथा जो अभी आपने बसें ली हैं उनके और पिछली बसों के रेट क्या है?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह है कि

11.12.2018/1135/av/ag/1

जो इसमें दोषी है उस बारे में जांच होनी चाहिए और वह हम करेंगे।

श्री राकेश पठानिया : आप वाह्इट पेपर ला रहे हैं या नहीं?

वन मंत्री : हां, लायेंगे। दो महीने के अंदर वाह्इट पेपर लायेंगे।

भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को शिमला के लिए इलैक्ट्रिक बसें खरीदने हेतु अभी इस सरकार में 30+20 बसें क्रमशः 7 मीटर की और 9 मीटर की खरीदने के लिए कहा। हमने इसके संदर्भ में ओपन टैंडर किए। पहली बार जब बिड हुई थी तो उसमें सात देशों की नामचीन कम्पनियों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें अशोक लेलैंड, इलैक्ट्रा ग्रीनटैक (गोल्ड स्टोन) जिनसे सरकार ने पिछली बार खरीदी थी, जे0वी0एम0 सोलर इलैक्ट्रिक व्हिकल्स, पी0एम0आई0 इलैक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्ज, वी0 ई0 कमर्शियल प्राइवेट

लिमिटिड, टाटा मोटर्स और एडिसन इलैक्ट्रा इत्यादि कम्पनियां शामिल थीं। लेकिन जब फाइनल रेट्स भरने थे तो उसमें चार पार्टीज ने अपने रेट भरे। मै0इलैक्ट्रा ने 7 मीटर बस का 1.18 करोड़ रुपये और 9 मीटर बस का 1.25 करोड़ रुपये रेट भरा। पी0एम0आई0 ने 76,97,992/- रुपये रेट भरा। अशोक लेलैंड ने 1,45,25,000/- रुपये और जे0बी0एम0 सोलर ने 1,23,99,999/- रुपये रेट भरा। इसके अलावा वर्ष 2017 में जो बसें खरीदी गई हैं उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि एक वर्ष के बाद ही इतना अधिक अंतर कैसे हो सकता है। उन बसिज का जब टैंडर हुआ तो उसमें 1.91 करोड़ रुपये की एक बस ली गई तथा एनुअल मैंटीनैंस चार्जिज (ए0एम0सी0) के लिए प्रति बस 36 लाख रुपये एच0आर0टी0सी0 ने उनको और दिया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो वर्क शॉप के बारे में प्रश्न किया है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अब जो 76 लाख रुपये में बस ला रहे हैं उसमें हमने कम्पनी को यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रीमिसिस में वे वर्क शॉप बनायेंगे। वहां पर अपने ट्रेन्ड लोग रखेंगे ताकि हमें उसके लिए बाहर न जाना पड़े। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने इलैक्ट्रिशियन्ज तथा मैकेनिक्स हैं उन सबको भी ट्रेन्ड करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रिकल की दिशा में जो पाइन-ईयर बनेंगे उसको हम और अच्छे से कर सकें।

श्री हर्षवर्धन चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी जो इलैक्ट्रिकल बसिज के बारे में उल्लेख किया है वह हालांकि इस प्रश्न का हिस्सा नहीं था। मंत्री जी का यह कहना कि जो बसें पिछली सरकार के समय ली थी वह महंगी थी, यह गलत है। पिछली सरकार के समय में जो टैंडर हुआ था वह गोल्ड स्टोन कम्पनी को दिया था जो कि 1.35 करोड़ रुपये का था जिसमें ए0एम0सी0 भी शामिल थे। इस सरकार ने और विभाग ने यह चालाकी की कि उसको ब्रेकअप कर दिया और ब्रेकअप करने के बाद जो बस की कॉस्ट है वह 77 लाख रुपये है और ए0एम0सी0 78 लाख रुपये है। इस तरह से अगर ये दोनों चीजें जोड़ दी जाए तो जो बसें आप पी0एम0आई0 फोटोन से खरीद रहे हैं उसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपये आती है। पिछली सरकार के समय गोल्ड स्टोन के साथ 1.35

करोड़ रुपये था। क्या यह सत्य है कि जो आप इस वक्त बसें खरीद रहे हैं वे पिछली सरकार की तुलना में महंगी है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपको श्री रघुनाथ महाभाल ने जो शिकायत दी है जिसमें उन्होंने एक घोटाले का उल्लेख किया है। आपकी सरकार उस बारे में क्या कार्रवाई कर रही है?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में जो सूचना मैं इस सदन के अंदर दे रहा हूं वह शत-प्रतिशत सही है। उस समय 1,90,99,999.16/- रुपये के हिसाब से प्रति बस खरीदी गई। यहां जो ए0एम0सी0 की बात की जा रही है तो

11-12-2018/1140/TCV/DC/1

वह मु0 36,92,474/-रुपये 8 साल के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से की गई है। दूसरा, आपने कहा कि इसके बारे में किसी व्यक्ति ने माननीय राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्य मंत्री को एक शिकायत भेजी है। यह बिल्कुल निराधार है। मैं यह निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता हूं लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार बसों को खरीदा था,उनमें वह एक व्यक्ति भी शामिल था। यदि वह इन सब बातों को सिद्ध करें तो ठीक है, वरना हम इन पर मान हानि का दावा भी कर सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मानहानि का दावा जिस पर करना है, वह उस पर करें। लेकिन माननीय विधायक श्री राकेश पठानिया जी ने जो सवाल पूछा था, वह दूसरी बसों को लेकर था। आज इलेक्ट्रिक बसों को लेकर प्रश्न लगा है। माननीय मंत्री जी बहुत जल्दीबाज़ी में है और उस प्रश्न की बारी आने से पहले ही सदन में कह दिया कि मुझे कुछ बोलना है। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार के समय की खरीदी हुए इलेक्ट्रिक बसें ठीक है या पिछली सरकार के समय की खरीदी हुई बसें ठीक नहीं है, तो क्या आप इन दोनों समय में खरीदी गई बसों की इनक्वायरी करवाएंगे? क्योंकि मुम्बई के वकील ने आप पर जो आरोप लगाया है, उसका यह कहना है कि क्या आपने एनुअल मैंटेनेंस कांट्रेक्ट को अलग कर दिया है। आप यह बताएं की आपने

बसों की खरीद और एनुअल मैंटेनेंस को अलग किया है या नहीं किया है? यदि आपने जितनी धनराशि में बस खरीदी है, यदि उससे ज्यादा एनुअल मेंटेनेंस है तो फिर ए0एम0सी0 करने की क्या जरूरत है। हर साल नई बस ही खरीद लिया करो। आप ये बताएं कि क्या आपने इन दोनों को अलग-अलग किया है या नहीं किया है?

माननीय वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे चुका हूं कि पिछली बार ए0एम0सी0 मु0 36,92,474/-रुपये थी और इस बार हमने कहा कि वह कंपनी हमारे एच0आर0टी0सी0 के परमिसिस में ही अपनी वर्कशाप स्थापित करेगी ताकि बार-बार उनको तलाश न करना पड़े और उस वर्कशाप में एच0आर0टी0सी0 के जो हमारे मेकैनिक और इलैक्ट्रिशन्स हैं, उनको भी इन बसों को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करेंगे।

दूसरा, आपने कहा कि इन दोनों खरीद की जांच की जाये। मैं माननीय विपक्ष के नेता को आश्वस्त करते हुए, स्वीकार करता हूं कि हम इसकी जांच करवाएंगे।

प्रश्न संख्या : 872

श्री परमजीत सिंह (दून): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो उत्तर दिया है, उसको बड़ा तोड़-मरोड़ कर दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान पिछले तीन सालों में दिखाया गया है, वह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दून विधान सभा क्षेत्र की औद्योगिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

दूसरा, मैं माननीय वन मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, उनको भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत करने की कृपा करें। जिससे मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सकें।

11-12-2018/1145/NS/DC/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन साल का ब्यौरा मांगा था और हमने ब्यौरा दिया है। निश्चित तौर पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है। दून विधान सभा चुनाव क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। वहीं इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में सिरसा नदी बहती है, जो हमेशा इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का कटाव करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस क्षेत्र में गए थे तो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सब-डिवीज़न खोलने की घोषणा की थी ताकि हम दून विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकें। मैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले वित्त वर्ष 2019-20 में आपकी प्राथमिकताएं चाहे वे बाढ़ नियंत्रण, पेयज़ल परियोजनाओं और चाहे सिंचाई नलकूपों की तरफ से हों तो हम ज्यादा-से-ज्यादा धनराशि देने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न संख्याः 873

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्षः श्री होशयार सिंह जी, अभी सूचना ही उपलब्ध नहीं है।

Shri Hoshyar Singh(Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, this is very important question यहां मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय CWP No-108/26 in the year 2011 में क्लीयर डिसीज़न दे दिया है और जिसकी इंपलीमैंटेशन आज दिन तक नहीं हुई है। यह वर्ष 2011 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन और उनकी बनी हुई सोसायटीज़ के बारे में क्लीयर कट लिखा गया है। In the order it is written very clearly that "no amount to be collected by any truck union or co-operative societies truck or other vehicles permitted under Motor Vehicle Act (MVA) have a right to operate in any part of the State". इसे गुंडा टैक्स का नाम दिया गया। ट्रक यूनियन जो टैक्स कोलैक्ट कर रही है, इसे गुंडा टैक्स कहा गया है।

अध्यक्षः अभी माननीय मंत्री जी के पास इसका उत्तर नहीं है और अगले सत्र तक यह उत्तर आएगा और फिर आप इस पर चर्चा कर सकेंगे।

Shri Hoshyar Singh(Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, it is very- very important question.

अध्यक्षः यह ठीक है। लेकिन जब तक माननीय मंत्री जी के पास उत्तर नहीं है तो इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

Shri Hoshyar Singh(Dehra): Okay Sir. Thank you.

प्रश्न संख्याः 874

कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस छोटे से प्रदेश में आज सात मेडिकल कालेज काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में लम्बे अर्से से डॉक्टरों की कमी खलती रही है, वह दूर होगी। आज प्रदेश में 2086 हिमाचली छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं और 517 बाहर के छात्र यहां पढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन मेडिकल कालेजों के लिए स्टॉफ और इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कालेजों को चलाने के लिए जो फैक्लटी

आपने अरेंज की है तो बहुत सारे डॉक्टर्ज़ हमारे फील्ड से ड्रा किए हैं, जिससे वहां पर डॉक्टरों की कमी हो गई है। इस कमी की भरपाई आप कब तक करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दे दिया गया है। लेकिन मैं, माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय सात मेडिकल कालेज काम कर रहे हैं और इसमें से इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा में इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग पूर्ण है।

11.12.2018/1150/RKS/HK-1

तीसरा, हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेरचौक मैडिकल कॉलेज का ओ.पी.डी. के रूप में शुभारम्भ किया। इसके अतिरिक्त जो मैडिकल कॉलेज, नाहन, हमीरपुर और चम्बा के लिए बिल्डिंग्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाए जाने हैं, उनके लिए विभाग ने जमीन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली है। इन संस्थानों की अधोसंरचना या इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज की बात की जाए तो नाहन मैडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य सी.पी. डब्ल्यू.डी. एजेंसी को दिया गया है। बिलासपुर में AIIMS का कार्य NBCC कंपनी कर रही है। हमीरपुर और चम्बा मैडिकल कॉलेजिज के कार्य की सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। माननीय सदस्य ने मैडिकल कॉलेजिज की फैकल्टी पोजिशन्ज के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लगभग 3-4 महीनों के बाद हर मैडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. की इंस्पैक्शन होती है और वे उस कोर्स को तभी मान्यता देती है जब उनके पैरामीटर्ज के अनुसार जो वहां की जरूरते हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा हो और लगभग हर मैडिकल कॉलेज में हम वह व्यवस्था पूर्ण कर रहे हैं। हमारे दूर-दराज क्षेत्र के मैडिकल कॉलेज, चम्बा को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेग्यूलर फैकल्टी हो। असिस्टैंट प्रोफैसर्ज या प्रोफैसर्ज की नियुक्तियां स्थाई रूप से की जाए और इसके लिए विभाग ने एक महीना पहले 15 असिस्टैंट प्रोफैसर्ज की पोस्टें सैंक्शन की हैं। निजी क्षेत्र में भी एक प्रतिष्ठित संस्थान सोलन में चल रहा है। वहां पर हर वर्ष 150 बच्चे मैडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री राकेश जम्वालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज के कितने पर खाली चल रहे हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग की क्या योजना है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत सामयिक प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज के कितने पद खाली हैं? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज के कुल पद लगभग 2,260 हैं जिनमें से 1,982 पद भरे हुए हैं तथा लगभग 276 पद रिक्त पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी जब से श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई हैं, विभाग ने वॉक-इन-इंटरव्यू के तहत 360 डॉक्टर्ज की नियुक्तियां की है। इस सदन के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आई.जी.एम.सी., शिमला, मैडिकल कॉलेज, टांडा और एम.एम.यू. इन तीनों स्थानों पर विभाग ने कैम्पस इंटरव्यू रख दिए हैं। 14 तारीख को जो 100 बच्चे टांडा मैडिकल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए हमने वहां पर वॉक-इन-इंटरव्यू रखा है। 17 तारीख को शिमला में कैंपस इंटरव्यू रखा है और उसी तरह सोलन में भी 22 तारीख के बाद कैंपस इंटरव्यू रखे हैं।

11.12.2018/1155/बी.एस./एच.के./-1

और अगर यह आंगड़ा जोड़ा जाए तो 285 डॉक्टर्ज हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे पास जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या 276 है। यानी हिमाचल प्रदेश में जितने पद खाली हैं वे भर दिए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज सरप्लस हो जाएंगे। दूसरा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अस्पताल खुलते हैं तो वहां पर डॉक्टर भी जरूरी है परंतु पैरा मैडिकल स्टाफ भी चाहिए। इस दिशा में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है । हमने फार्मास्टिस्ट के लगभग 236 पद बैचवाइज भरने वाले हैं और

उसकी प्रकिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ-साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि जो बैचवाइज 236 पद भरेंगे वहां पर चयन आयोग के माध्यम से 191 पद की रेक्किजिशन भी विभाग ने हमीरपुर चयन आयोग को भेज दी है। इसके अलावा हमारे रेडियो ग्राफर्ज हैं उसके लिए भी विभाग ने 141 पदों की रेक्किजिशन वहां पर भेजी है। ओ.टी.ए. की लगभग 172 पदों की रेक्किजिशन भेजी है। ऐसे ही प्रयोगशाल टैक्निशियन हैं उनके 76 पद, लैब सहायकों के 129 पद, थैलमिक ऑफिसर के 11 पद व इसके अलावा लिपिक एवं आशुलिपिक पदों को भी भारा जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय में यह भी बताना चाहता हूं कि किसी भी अस्पतान को खोलना बहुत आसान काम है परंतु वह अस्पताल सभी पैरामीटर्ज को फुलफिल करता है ? वहां पर स्टाफ नर्सिज की भी जरूरत होती है। मैं देख रहा था लगभग 962 पद खाली हैं। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है और कैबिनेट ने हमें 732 नर्सिज को भरने की रेक्किजिशन भी चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचा दी गई है। उन 732 पदों में से 50 प्रतिशत स्टाफ नर्सिज को हम बैच वाइज भरने की प्रक्रिया आर.एम.पीज. रूल्ज में कुछ परिवर्तन करके कर रहे हैं । इसी के साथ -साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सुपर स्पेसिलिटी जो टांडा मैडिकल कालेज में है, जब वहां पर महामहीम राष्ट्रपति जी आए थे तब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गए थे। हमारा सुपर स्पेसिलिटी ब्लॉक में डाक्टर्ज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु वहां पर स्टाफ नर्सिज, टैक्निसियंज की जरूरत है। उसके लिए भी कैबिनेट ने हमें मंजूरी प्रदान कर दी है और स्टोप गैप अरेंजमैंट और आऊट सोर्स के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र उन पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि यहां का जो टांडा मैडिकल कालेज है उस कालेज को और भी अच्छे तरीके से चला सकें। यहां पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

श्री सुख राम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जनना चाहूंगा कि जो छात्र मैडिकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसमें ओ.बी.सी. को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दी गई और ये कितने बच्चे हैं? क्या सरकार अन्य शिक्षा संस्थानों की तरह जैसे जे.बी.टी, टी.जी.टी. व एसोसिएट प्रोफैसर की भर्ती होती है उसमें 15 से 18

प्रतिशत की रिजर्वेशन ओ.बी.सी. के बच्चों को दी जाती है। क्या मैडिकल क्षेत्र में भी ओ.बी.सी. के छात्रों को रिजर्वेशन का प्रावधान प्रदेश सरकार आने वाले समय में करेगी?

अध्यक्ष : यदि माननीय मंत्री के पास इसका उत्तर उपलब्ध नहीं है तो इसका उत्तर माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करवा दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा और सारी स्थिति से अवगत करवा दूंगा।

श्री सुंदर सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में वर्तमान में कितने कालेज हैं? जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि पूरे-के-पूरे हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कालेज जहां-जहां होन चाहिए थे वहां पर स्थापित हो गए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में जिसमे कि कुल्लू, लाहुल-स्पिति, द्रंग, सराज और पांगी को जोड़ कर कुल्लू में प्रेशर है, इसको देखते हुए पिछली बार भी इस बारे में अवगत करवाया था।

11/12/2018/1200/RG/Yk/1

माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। हमें क्यों नहीं इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुल्लू में भी एक मैडिकल कॉलेज हो? पूरे-के-पूरे हिमाचल में अधिकतर जगहों पर मैडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इसमें ऊना और किन्नौर अभी रहता है लेकिन आज के दिन कुल्लू बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इस बारे में सरकार गंभीर है? पिछली बार भी मैंने सदन के माध्यम से अपनी आवाज़ यहां रखी थी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी आश्वासन नहीं मिला और न ही इस बारे में कोई नीति सरकार की तरफ से अभी तक बनाई गई है।

प्रश्नकाल समाप्त

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, कनिष्ठ कैमरामैन, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब ए(3)-60/99 दिनांक 22.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.09.2018 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं), वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःकार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014 दिनांक 06.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.09.2018 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं), वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःकार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014 दिनांक 06.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.09.2018 को प्रकाशित; और

iv. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5, दिसम्बर, 2018 ।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act, 1951) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समतियों के प्रतिवेदन होंगे। श्री सुख राम जी, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2018-19) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :

i. समिति के **33वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति के **29वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना सप्तम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह जी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2018-19) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19) समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **सप्तम् प्रतिवेदन** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति का **अष्टम् प्रतिवेदन** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत कर्नल इन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति इसका टैक्स्ट पढ़ना चाहता हूं जोकि इस प्रकार है 'सीर खड्ड के तटीयकरण (बरच्छवाड़ से जाहु) का कार्य न होने के कारण विशेषकर बरसात में किसानों की फसलों व खेतों को होने वाले नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर' माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, सीर खड्ड सरकाघाट-घुमारवीं बैल्ट के लिए लाईफ लाईन और जीवनदायनी है। इससे अनेकों पानी की स्कीमें सरकाघाट, भोरंज, घुमारवीं और बिलासपुर सदर हल्के को सर्व करती हैं। लेकिन बरसात के दिनों में यह खड्ड बाहर से इन क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाती है और विशेषकर
सरकाघाट के क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि सरकाघाट और भोरंज के बीच में जो जमीन का ले आऊट है, उसका झुकाव सरकाघाट की तरफ है। इसलिए इसकी ज्यादा मार बरसात के दिनों में सरकाघाट क्षेत्र में पड़ती है और हर वर्ष करोड़ों रुपयों की जमीन इस खड्ड की चपेट में आ जाती है। यहां तक की जाहू भावला का जो ब्रिज है वह भी दो बार इस बाढ़ की वजह से बह चुका है।

अध्यक्ष महोदय, बरच्छवाड़ से जाहू तक इस खड्ड की लम्बाई 11.8 किलोमीटर है और तकरीबन 115 हैक्टेयर जमीन इससे प्रभावित होती है जिसमें लगभग 29 गांव हैं और

10 हजार के करीब जनसंख्या इस खड्ड की वजह से हर बरसात में तकलीफ़ में रहती है। जहां तक इस खड्ड के चैनेलाइजेशन की बात है, इसका ए0ए0 एण्ड ई0एस0 और शिलान्यास अक्तूबर, 2012 को पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने रखा था। बाद में सरकार बदल गई तो यह सारी-की-सारी प्रपोज़ल ठण्डे बस्ते में पड़ गई। तब

इसका ऐस्टीमेट 62 करोड़ रुपये का था। उसके बाद बहुत समय बीत गया और हर साल नुकसान होता रहा। इसलिए इसका ऐस्टीमेट माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी के आशीर्वाद से इनके मार्गदर्शन में रिवाइज किया गया जो अब 158 करोड़ रुपये है। इसमें कुछ ऐसे भी प्वाइंट्स हैं जो बहुत असुरक्षित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि अगर इसकी चैनेलाइजेशन में थोड़ी देर है तो कम-से-कम जो असुरक्षित प्वाइंट्स हैं उनकी प्रोटैक्शन के लिए जल्दी-से-जल्दी कदम उठाए जाएं। यह बिल्कुल फ्लैट एरिया है। इसमें ग्रेडियंट ज्यादा नहीं हैं। अगर चैनेलाइजेशन के साथ-साथ साइड में वहां पर भण्डारण पैदा करें तो बहुत-बड़ी मात्रा में हम वहां पानी का भण्डारण कर सकते हैं। वहां पर रेत और बज़री खड्ड का ही होगा और जमीन सरकार की है। आपको उसके लिए सीमेंट देना पड़ेगा। वहां बहुत भारी मात्रा में पानी इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जा सकता है। इस खड्ड से जितनी भी पीने-के-पानी की स्कीमें या सिंचाई की स्कीमें हैं वे सारी-की-सारी रिचार्ज हो जाएंगी और पर्याप्त मात्रा में अगर भण्डारण हो तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने अपनी बात इतनी ही कहनी थी। साथ में जो पुल बह गए हैं उनके बारे में भी मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी नियम 62 के अंतर्गत उठाए गए मुद्दे का उत्तर देंगे।

11/12/2018/1205/MS/YK/2

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यहां रखा है। निश्चित तौर पर सीर खड्ड एक ऐसी खड्ड है जो पांच विधान सभा क्षेत्रों को प्रभावित

करती है। इस खड्ड के किनारे बहुत उपजाऊ भूमि है जो हर वर्ष भारी वर्षा के कारण प्रभावित होती है। जैसे ही भारी वर्षा होती है तो फ्लडिड वॉटर कभी इसके दायें तट को तोड़ता है और कभी बायें तट को तोड़ता है। वह पानी कभी एक पुल के पिल्लरों को गिराता है और कभी दूसरे को गिराता है। अनेकों बार ऐसी घटनाएं घटी हैं बल्कि एक बार जब जाहू का पुल बहा था तो उस पुल के ऊपर से हमारे एक फौजी भाई अपनी गाड़ी में जा रहे थे और जब वह पुल टूटा तो हमारा वह फौजी भाई भी उसमें बह गया था। इस खड्ड के चैनेलाइजेशन के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं और इसके लिए इसको टुकड़ों में बांटा गया है। घुमारवीं विधान सभा चुनाव क्षेत्र के एरिया का कुछ समय पहले चैनेलाइजेशन किया गया है। इसमें झण्डूता का विधान सभा चुनाव क्षेत्र भी आता है। अभी तक वहां भी काम करने को बाकी है। सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र के एक बहुत बड़े भाग को इस खड्ड का लैफ्ट बैंक नुकसान पहुंचाता है और भोरंज विधान सभा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आता है। इसके अलावा धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र का भी एक हिस्सा इसमें आता है। निश्चित तौर पर वर्ष 2012 में इस योजना का विधिवत रूप से शिलान्यास रखा गया था और उस वक्त इस योजना को पूरा करने की राशि 62 करोड़ 46 लाख रुपये थी।

11.12.2018/1210/जेके/वाईके/1

लेकिन सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता के परिवर्तन के साथ-साथ विकास कार्यों का भी परिवर्तन हो गया। काम रोक दिए गए। वर्ष 2012 से 2017 के बीच में जो सीर खड्ड है उसमें मुझे याद है कि अगस्त 2014 और 2015 में बहुत ज्यादा बादल अवाहदेवी की साइड और रक्खो की साइड फटे थे। उनमें बहुत ज्यादा फ्लश फ्लड आए थे उनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुए। जिस ब्रिज के बारे में आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी कह रहे हैं और जो दूसरी खड्ड है, वैसे तो वे खड्डे अलग-अलग थी लेकिन जिस तरह से वे फ्लश फ्लड आए, वे दोनों खड्डें इकट्ठी हो गई। एक खड्ड में तो पुल लग रहा है लेकिन उस पुल का उतना फायदा नहीं है जब तक दूसरा उसमें नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश में बनी हमने इस विषय को देखा और चिन्तन किया। चिन्तन करने के उपरान्त हमने ऐसा महसूस किया कि इसकी स्टडी दोबारा

से जो हमारा टैक्निकल व मैकेनिकल विंग है, उसमें महाराष्ट्र से, पूणे से लोग आते हैं वे उसमें स्टडी करते हैं। हमने उनको बुलाया और उन्होंने उसकी दोबारा से स्टडी की। स्टडी करने के बाद इसका डिजाइन उन्होंने हमें दिया। जो पिछला 62.46 लाख का डिज़ाइन था उसमें यह अनुमानित राशि थी लेकिन अब जो रिवाइज्ड डिज़ाइन आया उससे यह राशि बढ़ करके 157.07 लाख रूपए हो गई। जब यह राशि बढ़ी तो फिर यह राशि हिमाचल प्रदेश के पास नहीं थी। हम इस पूरे प्रोजैक्ट को ले करके फ्लड मैनेजमैंट में भारत सरकार के पास गए। भारत सरकार के पास पहुंचने पर जैसे ही डायरैक्टर सी0पी0डब्ल्यू0डी0, शिमला से निकले, उसके बाद चण्डीगढ़ और फिर सी0पी0डब्ल्यू0डी0, दिल्ली और उसके बाद इसकी टैक्निकल एडवाइज़री कमेटी द्वारा इसकी स्वीकृति हुई। अब इन्वैस्टमैंट क्लीयरैंस के लिए लगा है। मैंने भारत सरकार से व्यक्तिगत तौर पर भी निवेदन किया लेकिन भारत सरकार ने भी कहा कि इतना बड़ा अमाउंट आपके प्रदेश को एक मुश्त नहीं दे पाएंगे। मैंने इस माननीय सदन में पिछले कल भी कहा है कि हमारा 4,893 करोड़ रुपए का जो प्रोजैक्ट है, जो फॉर फंडिंग प्रोजैक्ट है, उस प्रोजैक्ट के अन्दर हम इसको लाने जा रहे हैं। क्योंकि इसकी जितनी भी औपचारिकताएं थी वे सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। अब तो वैसे ही वह प्रोजैक्ट जो 4,893 करोड़ रूपए का है, जैसे ही उसकी क्लीयरैंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से मिलती है, डिपार्टमैंट ऑफ इकोनोमिकल अफेयर्ज़ से यह फॉर फंडिंग के लिए लगेगा तो इसमें जितनी भी औपचारिकताएं हैं, इसकी सारी फिज़िबिलिटी स्टडी हुई है, इसकी टैक्निकली स्टडी हुई है, इन्वैस्टमैंट क्लीयरैंस इसकी मिली हुई है तो जैसे ही उसकी क्लीयरैंस मिलती है वैसे ही प्रथम चरण में हम इस प्रोजैक्ट को उसमें डालेंगे। बाकी जो पांच विधान सभा क्षेत्रों के बीच से निकलने वाली यह खड्ड है, यह बहुत ही बहुमूल्य भूमि को नुकसान पहुंचाती है। निश्चित तौर पर मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी को इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही प्रोजैक्ट स्वीकृत होगा तो प्रथम चरण में उसको हम डालेंगे और इसके काम को पूरा करेंगे ताकि आपकी मांग का समाधान हो सके । जहां तक आपने पुल की बात कही, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस

पुल के न लगने से बहुत बड़ा क्षेत्र सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र का अब टूट गया है तो उस दृष्टि से भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको अपनी एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डालें क्योंकि उस पुल का बनना भी अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य जी का भी धन्यवाद क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखा है। मेरी बहन आशा जी आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः नियम-130 के अन्तर्गत श्री जगत सिंह नेगी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

11.12.2018/1215/SS-AG/1

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव पेश कर रहा हूं जिसका टैक्स्ट निम्न प्रकार हैः-

> "अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे। इस विषय में मेरे पास बहुत से नाम आए हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें सभी को समय मिले और माननीय सदस्य बिल्कुल टू दी प्वाइंट विषय पर अपनी बात कहें। इसमें प्रस्तावक 10 से 12 मिनट और शेष सभी माननीय सदस्य पांच से सात मिनट में अपनी बात कहें। अब माननीय जगत सिंह नेगी जी अपनी बात रखेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विधायकों की अहम भूमिका है और समय-समय पर वक्त के साथ विधायकों के कार्यक्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। आज विधायक जहां पर कानून बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं वहीं पर विधायकों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोगों की उम्मीदें भी विधायकों से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आज विधायकों को बहुत सारे मल्टीपल रोल में काम करना पड़ता है चाहे वह सरकार के द्वारा चलाई गई कोई भी स्कीम है, उसके ऊपर निगरानी रखने की बात है या चाहे योजनाएं बनाने की बात है या अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्वाचक को हर प्रकार की मदद देनी हो या चाहे किसी विभाग से कोई काम कराना हो या चाहे अस्पतालों में किसी का इलाज करवाना हो तो आज जिम्मेवारियां विधायक की बहुत बढ़ी हैं। जब तक हम विधायकों की इस संस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो हम इस कार्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने में सक्षम नहीं होंगे। यहां पर सरकार बदली है और मुख्य मंत्री जी 'नई पीढ़ी, नई सोच' की बात शुरू से कहते रहे हैं और हर स्पीच में यह उनकी मुख्य बात होती है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह समयानुकूल है। देखने में यह आता है कि विधायक किसी भी योजना में शुरू से लेकर आखिर तक चाहे उसकी रूपरेखा बनानी हो, चाहे उसको फाइनलाइज करना हो या उसकी फंडिंग करनी हो, उसमें विधायक की मुख्य भूमिका रहती है। परन्तु लम्बे अरसे से, मैं यह नहीं कहता कि यह अभी आपके समय में हो रहा है परन्तु हमारे समय में भी और उससे पूर्व समय में भी यह होता रहा है कि जब कोई शिलान्यास या किसी स्कीम का उद्घाटन किया जाता है तो विधायकों को नज़रअंदाज किया जाता है। उस समय वहां पर राजनीतिक दृष्टि से काम लिया जाता है। जो हारे हुए लोग हैं या चुनाव जीत कर नहीं आए हैं या जो लोग नोमिनेटिड हैं उन लोगों को मंत्रिगण अहम एहमियत देते हैं। उनका नाम शिलान्यास या उद्घाटन पट्टिकाओं में जोड़ा जाता है जोकि एक किस्म से बिल्कुल गलत प्रथा चली हुई है। ऐसे लोग जो जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं उनके नाम पट्टिकाओं पर दर्शाना एक गलत प्रथा है। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मेरा यह भी मानना है कि जहां पर आज चुने हुए विधायकों की भूमिका में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं पर इस विधायकों की संस्था को बहुत सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। एक शिलान्यास और उद्घाटन से ज्यादा उनको कोई शक्तियां मिलने वाली नहीं हैं परन्तु

परन्तु समाज के अन्दर उनकी प्रतिष्ठा का जहां तक सवाल है, जहां पर संवैधानिक तरीके से चुनकर आए हुए लोगों के मान-सम्मान की बात है, शायद मुख्य मंत्री जी कहेंगें कि पट्टिकाओं पर नाम लिखाना सरकार का प्रैरोगेटिव है परन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार का प्रैरोगेटिव मन-माना नहीं होना चाहिए। वह भी किसी नीति के तहत होना चाहिए। आज शिलान्यास कौन करे कौन न करे, उद्घाटन कौन करे कौन न करे, इसके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं किया गया है। कई बार देखा जाता है कि जिलाधीश लोग भी कैंची ले कर तैयार रहते हैं। मौका मिलते ही विधायक को साइड करके बी.डी.ओ. लैवल के ऑफिसर भी शिलान्यास करते हैं। उस समय एक किस्म से विधायकों की संस्था को इम्बेरेस्मैंट फील होती है। इस बात को बदलने की जरूरत है। अभी पीछे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात मानी थी कि जहां-जहां पर विधायक मंत्री के प्रोग्राम में मौजूद रहेंगें वहां पर निश्चित तौर पर उस विधायक का नाम शिलान्यास या उद्घाटन पट्टिकाओं पर लगेगा परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा। जहां-जहां पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी गए, विपक्ष के विधायकों के नाम तो कहां लिखने थे, वहां पर जो चोर रास्ते से लोग किसी तरह के चेयरमैन बनाए गए, जिन्होंने कोई इलैक्शन नहीं लड़ा हुआ है, उनके नाम लगाए गए। एक नीति बनाने की जरूरत है। आप नीतिगत फैसला लीजिए। मैं माननीय सदन से भी निवेदन करता हूं कि इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर पट्टिकाओं पर नाम लिखने की नीति नहीं है तो फिर तो जो मर्जी करता रहे। या तो जो इस पर पैसा खर्च हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। (व्यवधान) पिछली बात को आप भूल जाइए। नई पीढ़ी, नई सोच। अगर पीछे कोई काम अच्छा नहीं हुआ, आप उसको ठीक कीजिए। पिछली बार आप लोग भी इस सरकार में रहे हैं। पहली बार आप सरकार में नहीं है तो इसलिए इसको बदलने की जरूरत है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि आप अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसा नहीं चाहते।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसमें यह भी कहना है कि विभाग के सम्बन्धित मंत्रियों के पास समय नहीं होता। वे ज्यादातर अपने चुनाव क्षेत्रों में ही होते हैं और आज तो ज्यादातर आपके मंत्री अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के ही मंत्री बने हुए हैं। उनको हमारे इलाकों से कोई लेना-देना नहीं हैं। वे सोचते हैं कि पांच साल के बाद अगली बार मैं कैसे जीतकर यहां आऊं, उनकी यही चिंता है। इसलिए ये ज्यादातर वहीं होते हैं। सम्बन्धित विभाग के मंत्री अगर समय नहीं निकाल पाते हैं तो स्थानीय विधायक को, वह चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, शिलान्यास करने और शिलान्यास के बाद उद्घाटन करने की नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को गम्भीरता से लेंगे क्योंकि अभी शुरूआत है। आपकी सरकार का एक साल का समय बीतने जा रहा है। जो बातें आपने कहीं, उनको अभी अमलीजामा देने में लगता है कि काफी समय लगने वाला है। मुख्य मंत्री जी के साथ हमारे 45 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने मीटिंग की थी और उसमें भी इस बात का जिक्र आया था परन्तु काफी समय बीतने पर भी उस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारण नहीं हुआ है। विधायकों की संस्था को सुदृढ़ करने की जो बात है, आज बहुत सारे देशों व राज्यों में एक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक ऑफिस दिया गया है जो कि हमारे प्रदेश में नहीं है। विधायक अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो उसको या तो रैस्ट हाउस में जाना पड़ता है लेकिन रैस्ट हाउस में भी आजकल जो आपने बहुत सारे गैर-संवैधानिक चेयरमैनों की फौज खड़ी कर दी है, वे तो कमरे छोड़ते ही नहीं है तो बेचारा विधायक कहां पर जा कर पब्लिक की बात सुने? उसके लिए यह था कि आज दुनिया कि सभी लैजिस्लेचर असैम्बलीज़ में, लैजिस्लेचर को पक्का करने के लिए एक विधान सभा क्षेत्र में एक ऑफिस दिया जाता है । ऑफिस के साथ बहुत लम्बा चौड़ा स्टाफ नहीं केवल एक क्लर्क उनको दिया जाता है ताकि वे सुगमता से अपने कार्यों को पूरा कर सके, वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत कर सके इसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत है।

11.12.2018/1225/av/dc/1

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस मान्य सदन और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक नीति बनाइए और उसके माध्यम से विधायकों की संस्था को सुदृढ़ कीजिए। आप चुने हुए विधायकों द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन करने की नीति बनाएं

ताकि यह झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तथा गैर संवैधानिक लोग व दूसरे अधिकारी लोग कैंची लेकर न बैठें। आप विधायकों को सशक्त करें; मेरा आपसे यही कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी अपनी बात रखेंगे। मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध रहेगा कि अपनी-अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो प्रस्ताव इस मान्य सदन में पेश किया है, its essence is how we should be able to strengthen the parliamentary system. यह केवल उद्घाटन का प्रश्न नहीं है। आप माने या न माने मगर यह हकीकत है कि अपने पार्लियामैंट्री इन्स्टिच्यूशन्ज को कमजोर करना इस देश की राजनीति के लिए सही नहीं होगा। सदन क्या है? सदन 'द रूलिंग पार्टी, द अपोजिशन' और वह भी हो सकते हैं जो न पक्ष में हो तथा न विपक्ष में हो; केवल निर्दलीय तौर पर चुनकर इस सदन में आए हों। उनको अगर हम पूरी मान्यता नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि यह इन्स्टिच्यूशन कमजोर होगा। आप इस बात का ख्याल रखें क्योंकि आज इस देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैं इसलिए भी स्ट्रैस करना चाहता हूं क्योंकि पिछले कल आर0बी0आई0 जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत मजबूत इन्स्टिच्यूशन है; वहां पर क्या हालात बने हैं। पिछले दिनों सी0बी0आई0 में क्या हुआ और यही हाल आपके विजिलैंस का है। ये सारे-के-सारे डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूशन्ज हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है इसकी इसैंस को मजबूत करने बारे इस मान्य सदन में केवल चर्चा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि आप पुरानी परम्पराएं छोड़ें और नई परम्पराएं शुरू करें। मुझे यह मालूम नहीं है कि आज से

पहले क्या परम्परा थी लेकिन मैं बड़े दुःख से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जहां-जहां मुख्य मंत्री गये हैं उसके बारे में मुख्य मंत्री के ऑफिस ने चुने हुए विधायकों को सूचना तक नहीं दी है। यह कहां की परम्परा है, अगर आप सूचना तक नहीं देंगे? मैंने इस बात को विवादित करने हेतु किसी मंच का इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से या निर्वाचन क्षेत्र में जायें क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय का यह प्रैरोगेटिव है और जाना भी चाहिए लेकिन आप विपक्ष के एम0एल0ए0 को नजरअन्दाज करेंगे तो इसका मतलब आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्थन नहीं कर रहे हैं। मैं

माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी से भी पूरी तरह से सहमत हूं क्योंकि आप ऐसे-ऐसे लोगों को जो पंचायत से चुने भी नहीं है; तवज्जो देंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं देंगे तो इस तरह से हम डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। जब डेमोक्रेसी कमजोर होती है तो यह किसी के हित में नहीं है, हम सबका इन्ट्रस्ट लोकतंत्र और जनवाद की परम्पराओं व मैथड़्ज के तौर-तरीकों को मजबूत करने में होना चाहिए। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूं कि आप जगह-जगह ऐसे लोगों के नाम लिख रहे हैं, यहां तक कि कूड़े दान में भी उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से एक का नाम भी नहीं लिखा गया है। वह तो आपने ठीक किया क्योंकि कूड़े दान में तो मैं अपना नाम वैसे भी नहीं लिखवाना चाहता मगर यह कहां की समझदारी है, पैसा कहां से आया और आप उसको किस के लिए उपयोग कर रहे हैं? मेरे हिसाब से यह पूरी तरह से पब्लिक मनी की बर्बादी है, इसलिए इस मान्य सदन को यह बात नोट करनी चाहिए। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री और उनकी कैबिनेट से उम्मीद करता हूं कि ऐसी परम्पराओं को सैट किया जाए जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो। लोकतांत्रिक प्रणाली के मजबूत होने से वह पक्ष, विपक्ष यानी इस हाउस के पक्ष में अच्छा काम करेगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

11-12-2018/1230/TCV/HK/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी यहां सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव लायें हैं कि माननीय विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र हरेक सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम या शिलान्यास इत्यादि होते हैं, उनमें माननीय विधायकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे, एक दिन आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र के घनोटा में आये हुए थे। मैं भी उस प्रोग्राम में जा रहा था, लेकिन उस रोड़ में गाड़ियां लगाकर वह रोड़ पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मैं तो उस प्रोग्राम में बिना बुलाए ही जा रहा था। जब वे जा रहे थे तो मैं रास्ते में खड़ा था। मैंने उनकी गाड़ी को हाथ देकर रोकना भी चाहा लेकिन वह नहीं रूके। मैं चाहता था कि वे मेरे विधान सभा क्षेत्र में आये हैं और मैं उनका स्वागत व धन्यवाद करूं। परन्तु ऐसा उन्होंने उचित नहीं समझा। पिछली बार नैना देवी, विधान सभा क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी थे, उनको अपने प्रोग्राम से इन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया था। माननीय विधायक कर्नल श्री इन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि उन्हें भी एक कार्यक्रम से निकाल दिया था। इसी तरह से माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी को भी एक प्रोग्राम से बाहर निकाला गया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई उद्घाटन हुए और सैंकड़ों पट्टिकाएं लगी। लेकिन उनके लिए बजट जीरो था। जो स्कीमें मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी, उनका उद्घाटन भी मुख्य मंत्री या किसी विधायक ने नहीं किया, इनका उद्घाटन तो निगमों और बोर्डों के चेयरमैन कर रहे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री जी ने चवाड़ी में एक ग्राउंड का उद्घाटन किया। उसके लिए विधायक प्राथमिकता में मु0 50 लाख रुपये का बजट मैंने डाला था और उद्घाटन वह करके आ गये। मशौत पंचायत में मु0 12 लाख रुपये मैंने डाला और उद्घाटन पूर्व मुख्य मंत्री जी करके आ गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चुवाड़ी में एक हेलिपैड है, उसकी पट्टिका को लगे हुए 3 साल हो गए हैं। लेकिन उसके लिए बजट कुछ भी नहीं था। अब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर उसके लिए बजट का प्रावधान किया है और उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। एक डब्ल्यु0एस0एस0 स्कीम कूट है, वहां पर भी इनका फट्टा लगा हुआ है, वह भी मेरे विधायक प्राथमिकता की स्कीम थी। इसी प्रकार से डब्ल्यु0एस0एस0 स्कीम कथैट है, वहां भी बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर भी बोर्ड़ के चेयरमैन की पट्टिका लगी हुई है।

माननीय विधायक श्री रमेश चंद ध्वाला जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में 490 शिलान्यास हुए हैं लेकिन उनके लिए बजट का प्रावधान कुल मु0 1000/ रुपये था। इन्होंने स्कूलों में भी पट्टिकाएं टांगी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिहुंता में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोला गया, लेकिन उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था। पिछली विधान सभा में मैंने प्रश्न भी लगाया था, जिसका पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसके कोई बजट नहीं है। आज हमें मुश्किल आ रही है, हम उन पट्टिकाओं को नहीं हटा सकते हैं और वे कार्य अब हमें करने पड़ रहे हैं। राजकीय हाई स्कूल बडोलू में फटा लगा है, यदि यह माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का लगता तो मुझे दुख न होता लेकिन एक हारा हुआ व्यक्ति nominated employee of Congress Party का वह फट्टे लगा रहा है।

11-12-2018/1235/NS/HK/1

राजकीय उच्च विद्यालय, रांग में भी उसकी पट्टिका लगी हुई है। इसके अलावा जो मैंने विधायक प्राथमिकता की सड़कें डाली हुई थी तो मैं यहां पर एक ही सड़का का उदाहरण दूंगा और वह सड़क दरला ग्रां टू अंदरोह तथा वहां पर उन्होंने अपना नाम लिखा है। ---(व्यवधान)--- इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारी विधायक प्राथमिकता के कार्य संगठित होने चाहिए और सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आप अपना पिछला हिसाब-किताब देखो। ---(व्यवधान)--- आपने क्या बोया और क्या काट रहे हैं, यह देखना चाहिए। ---(व्यवधान)--- हम करेंगे, आप चिंता मत करो। माननीय नेगी जी, मैं आपके साथ हूं, आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है। लेकिन जो व्यथा हमारे साथ हुई है, वह मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री मुकेश अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके तात्पर्य को हम सबको समझने की जरुरत है। हम सब इस माननीय सदन के सदस्य हैं। कभी आप (सत्ता पक्ष) इस तरफ हैं, कभी हम उस तरफ हैं और समस्या सबकी सांझी है। बात सिर्फ यह है कि शुरूआत कहां से करनी है? माननीय

मुख्य मंत्री जी ने कल भी बहुत दुहाई दे करके कहा कि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, युग परिवर्तन हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी, पीढ़ी के साथ परिवर्तन नज़र भी आने चाहिए। आप छोटे मन से सरकार चलाने की कोशिश मत करो, दिल विशाल करो। दिल विशाल होना चाहिए। ---(व्यवधान)--- माननीय मंत्री जी, ठीक है, आपके साथ भी ज्यादती हुई होगी, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं और हम इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है या माननीय मंत्रियों को उद्घाटन या शिलान्यास करने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री या माननीय मंत्री उद्घाटन करें लेकिन उसकी एक गरिमा रहे और मर्यादा बनी रहे। शुरूआत कहीं से तो होनी ही है। हम भी पहली बार यहां चुन करके नहीं आए हैं। जो आप कह रहे हैं, हमारे साथ भी वही हो रहा है। यह बात माननीय महेन्द्र सिंह जी भी कह रहे हैं और परसों मेरे साथ माननीय सुरेश भारद्वाज जी भी कह रहे थे कि इनके विधान सभा क्षेत्र में क्या हुआ है? माननीय बिक्रम जरयाल जी उस समय भी कहते थे, जब वे इस तरफ (विपक्ष) थे कि लाल बत्ती लगा करके कौन घूम रहा है? ये चर्चाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन मेरा इस माननीय सदन के सदस्यों से आग्रह है कि कम-से-कम अपने लिए तो कोई एथिक्स या फार्मूला तय कर लो कि आखिर फाइनली करना क्या है? यह सब कुछ चलता रहेगा। इस बार आप (सत्ता पक्ष) जोर जबरदस्ती करेंगे, अगली बार हम जोर जबरदस्ती करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब ये करने के लिए तैयार होते हैं तो इनको चेत राम याद आ जाता है और इनको लगता है कि उसने वहां पर पत्थर लगा दिया। वे बहुत पीछे हैं, कहां चेत राम और कहां जय राम। आप अब इन बातों को छोड़ो क्योंकि आप यहां पहुंच गए हैं। आप अब बड़ा दिल और सोच करके कुछ फैसले लें।

माननीय मुख्य मंत्री जी, केंद्र ने फैसला कर दिया कि सांसद के नाम अगर केंद्र से कोई भी धनराशि आई है तो पट्टिका में सांसद का नाम लगेगा। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। अपने विधान सभा क्षेत्रों की जो स्कीमें हम बनाते हैं, अगर हमने कोई पुल या सड़क बनाई है तो इसका वहां के सांसद को पता भी नहीं होता है और उसको उस दिन पता लगता है जिस दिन उसका नाम पट्टिका पर लगना है। लेकिन केंद्र सरकार ने रूल बना दिया कि जिस दिन भी केंद्र सरकार से थोड़ी धनराशि वाली कोई भी स्कीम आएगी या जिस स्कीम में केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है, उसमें सांसद का नाम लग जाएगा। केंद्र सरकार ने यह तय कर दिया कि सांसद जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक की मीटिंग ले

सकता है और अपने संसदीय क्षेत्र के दो-तीन जिलों की मीटिंग भी ले सकता है। सांसदों को जब दफ्तर दे दिए गए और हमारे सांसद को हमीरपुर में दफ्तर दे दिया गया तथा केंद्र सरकार ने एक फार्मूला तय कर दिया कि केंद्र के हर पैसे पर सांसद का नाम लगेगा और उसको दफ्तर भी मिलेगा तथा अधिकारियों की मीटिंग भी लेगा तो कम-से-कम इस सदन के सदस्य अपने लिए भी कुछ तय कर लें कि माननीय सदस्यों के क्या अधिकार हैं? अभी माननीय जरयाल जी कह रहे थे कि 450 पट्टिकाएं लग गई।

11.12.2018/1240/RKS/YK-1

असंवैधानिक फोर्सिज जहां भी होगी वह ऐसे ही तंग करेगी। अभी माननीय मुख्य मंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आए। विधायक प्राथमिकता के तहत हिमाचल प्रदेश का सबसे लम्बा पुल बनाने के लिए हमने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पुल पर हारे-नकारे व्यक्ति का नाम लिखवा दिया। आप मुख्य मंत्री हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए था कि इस पुल के पीछे भी कोई भावना जुड़ी होगी क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश का सबसे लम्बा पुल था। इस पुल को बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने पसीना बहाया होगा। आप मुख्य मंत्री के नाते कम-से-कम एक फोन तो कर देते कि यह अच्छा पुल बना है। आपने उस पुल को देखने की कोशिश भी नहीं की। आप उस पुल में प्लेट लगा कर भाग गए। यह सबसे लंबा पुल है और इस पर आप हारे-नकारे व्यक्ति का नाम लिखवा कर चले गए। जबकि उस पुल को बनाने में उस व्यक्ति का कोई योगदान ही नहीं है। मेरी विधायक प्राथमिकता में 7 करोड़ रुपये की ट्यूब वैल्स की स्कीम्ज थीं। हम विधायक प्राथमिकताओं के लिए मुख्य मंत्री के दरबार में जाते हैं। जब अगले महीने प्लानिंग की मीटिंग आयोजित की जाएगी तो उस समय हम मीटिंग मे जाएंगे। आप हमें विधायक प्राथमिकता के लिए बुलाएंगे और बाद में उन प्राथमिकताओं को फंडिंग के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा। एम.एल.एज. उन स्कीमों को फोलो करते रहेंगे। यह विधायक की 90 करोड़ रुपये की किटी है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए और जिस गांव में ट्यूब वैल्स लगने भी नहीं हैं वहां पर आप प्लेट लगा कर चले गए। यह आपके अधिकार

क्षेत्र में हैं और आप कहीं भी प्लेट लगा सकते हैं। आप विधायक प्राथमिकता के ट्यूब वैल्स पर हारे हुए व्यक्ति की प्लेट लगा कर चले गए और आपने वहां के स्थानीय विधायक को बुलाना भी उचित नहीं समझा। आखिर कहीं तो इस बात को रोकना होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री जी आप ही बताएं कि हम विधायक प्राथमिकता की मीटिंग में क्यों आएं? जिस दिन वह स्कीम तैयार हो जाएगी तो उस समय आप हारे-नकारे आदमी के नाम की प्लेट वहां पर लगा देंगे। शायद यह हमारे साथियों ने भी भुगता होगा। यह चीज हर साथी के साथ बीती है। माननीय मुख्य मंत्री जी प्लेट लगा देते तो हम खुश होते कि प्रदेश के मुखिया ने प्लेट लगाई । पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई या उद्योग विभाग के मंत्री प्लेट लगा दें तो वह ठीक है लेकिन जिन लोगों का कोई बुनियाद ही नहीं है, वह प्लेट लगा दें, वह चीज ठीक नहीं है। आप जब भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं, आप हर प्लेट पर सांसद का नाम लिखवा देते हैं। क्या हर जगह सांसद का योगदान है? क्या एम.एल.एज. का कहीं भी योगदान नहीं है? अभी ऊना में आपने 9 शिलान्यास किए और उन नौ के नौ शिलान्यासों में सांसद का नाम अंकित हैं। सांसद उस दिन हाजिर भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी सांसद का नाम उन नौ की नौ प्लेट्स में लिखा गया। आप इतने तंग दिल है कि आप उन प्लेटों में मंत्री का नाम नहीं लिखवा रहे हैं। वह आपकी ही सरकार के मंत्री है और उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी आपने उनका नाम नहीं लिखवाया। इससे पहले जब आदरणीय नड्डा जी ने किसी कार्यक्रम में आना था तो वहां पर भी आपने माननीय नड्डा जी के साथ अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिखवा दिया और मंत्री जी विश्राम गृह में बैठे रहे। उनको किसी ने नहीं बुलाया। अंततः वह वहां से उठ कर चले गए। जो एम.एल.एज. हैं उनका भी अपना एक स्थान है। असंवैधानिक लोगों को आप कितना पालोगे? अपने कंधे पर बैठाकर आप इन्हें कब तक नचाओगे। आपकी यह दिक्कत है कि एक सरकार अंदर बैठी है और दूसरी बाहर बैठी है। जो लोग यहां पर बैठे हैं, वे सरकार हैंलेकिन जो सरकार बाहर है वह आपको तंग कर रही है। वे चाहते हैं कि हर जगह हमारे नाम लिखे जाएं। अभी ऊना कॉलेज में 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही रैलिवैंट बात है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, रैलिवैंट तो ठीक है लेकिन यह आपने ही तय किया है। मैंने तो कहा था कि चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ सदस्य कम कर दें लेकिन आप सदस्य भी कम नहीं कर रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, किस बात के लिए शोर्ट किया जाए? अभी 1:00 बज रहा है और यह लास्ट आइटम है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य लास्ट आइटम का सवाल नहीं है। इस समय 28 सदस्य और बोलने वाले हैं, आप कृपया समाप्त कीजिए।

11.12.2018/1245/बी.एस./वाई.के./-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, किस बात की जल्दी है ? बहुत समय हमारे पास है सारा दिन चर्चा के लिए पड़ा है।

अध्यक्ष : यह मुझे देखना है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : हमारे ऊना कॉलेज का फग्शन हुआ, आप किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, हम उस कालेज के छात्र रहे हैं हमने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की है। दोनो विधायक उस कॉलेज के छात्र रहे हैं। वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों का नाम लिख देते हैं, हमें कह दिया जाता है कि आप आमंत्रित तो हैं लेकिन आपके नाम कार्ड पर नहीं छप सकते। ऐसी तंग दिली क्यों दिखाई जा रही है? माननीय मुख्य मंत्री जी आपने एक बात आम कर दी है कि जहां भी आप जाते हैं, वहां सरकारी समारोहों को पार्टी का समारोह बाना दिया जाता है। यह आपके निर्देशों से ही हो रहा है कि जहां भी माननीय मुख्य मंत्री

का कार्यक्रम होता है वहां पार्टी के झण्डे लगा दिए जाते हैं ताकि कांग्रेस के विधायक वहां पर जा ही न सकें। आप कहीं तो सरकारी समारोह करते होंगे, कहीं आपको लगता होगा कि सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां कांग्रेस के लोग नहीं आने चाहिएं तभी इस प्रकार का रवैया आपने अपना रखा है। लेकिन आपने जो अभियान आपने छेड़ा हुआ है, आप सरकारी कार्यक्रमों को पार्टी के कार्यक्रम बनाकर कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि विधायक प्राथमिकताओं के बारे में आपको फैसला लेना पड़ेगा, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। जिस ढंग से विधायक प्राथमिकताओं पर आप अपना रवैया दिखा रहे हैं वह सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगले महीने तक इसमें बात बिगड़ जाएगी। अगले महीने आप मीटिंग बुला रहे हैं हम आएंगे, लेकिन आपने नाम अपने पार्टी के विधायकों के ही लिखवाने हैं तो फिर हमारे आने की सार्थकता क्या रही? हमारे चुनाव क्षेत्रों में आप आते हैं हम आपका अखाबारों में स्वागत करते हैं। आदरणीय सिंघा जी ने ठीक कहा कि आपके कार्यालय से किसी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको पहला पत्र लिखा, आपने उसका उत्तर तक नहीं दिया और कह दिया कि उस पत्र को आपने दिल के करीब रख लिया है। यह संस्थान की बेहरी का सवाल है । 42 मांगे पत्र में रखी गई थीं । विधायकों ने उस पर हस्ताक्षर करके भेजा था। एक वर्ष हो गया, एक भी विषय पर फैसला नहीं हुआ। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उनके पास भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सब विधायक जाते थे, उस वक्त बहुत मसले विधायकों के सैटल हुए थे। आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप भी विधायकों के इश्यूज में ब्युराक्रसी को हावी मत होने दो। ये आपको कार्य नहीं करने देंगे। जिस दिन विधायकों की मीटिंग आपके साथ हुई थी उस दिन जब हम बाहर निकल रहे थे तो ये हमें देख कर हंस रहे थे कि हमारा कोई भी काम होने वाला नहीं है। इस संस्थान की बेहतरी के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। आप इसके लिए कदम उठाएं यह हमारा आपसे आग्रह रहेगा और विधायकों के इस संस्थान को बर्बाद होने से बचाएं, आपके समय में यह बहुत बर्बाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मंशा बहुत अच्छी है परंतु खुशि का विषय तब होता जब यह लोग सत्ता में थे यदि उस वक्त 130 के अंतर्गत यह प्रस्ताव इनकी तरफ से आता तो ज्यादा अच्छा रहता। बातें आपकी सब ठीक है परंतु यह सारी बातें विपक्ष में जाकर ही हो रही हैं। मैं तो 20 वर्ष तक विपक्ष का सदस्य रहा हूं और 20 वर्ष में आदरणीय श्री विरभद्र सिंह जी के साथ जब वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और मैं विधायक था, हमने कैसा-कैसा व्यवहार झेला है यह बताने की बात नहीं है। आदरणीय अग्निहोत्री जी की बात बिलकुल सही है लेकिन उन चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, जिन्हे आप लोगों ने सत्ता में रह कर किया है। आप आज असवैधानिक आथॉरिटी की बात कर रहे हैं । आप हारे हुए लोगों की बात कर रहे हैं । आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर जो संस्थान था उसे बर्बाद करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी । मैं दूर नहीं जाना चाहता, आदरणी ठाकुर महेन्द्र सिंह जी के ऊपर एफ.आई.आर. लोज की गई। जेल के अंदर तक चले गए। आज आपको संस्थान की बात याद आ रही है। बात कहते हैं कि इसे मजबूत करना है। आपके समय में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायकों को स्टेज से उतारा जाता था। यहां तो नेम प्लेट्स की बात हो रही है। यह हम भी मानते हैं कि पट्टिकाएं न लगने के कारण आपके मन में ठेस है। आप लोगों ने क्या-क्या किया? जब हम माननीय मुख्य मंत्री जी के गले में हार डालने के लिए जाते थे तो धक्के मारे जाते थे।

11/12/2018/1250/RG/AG/1

मेरे साथ ऐसा हुआ है। --(व्यवधान)---यह तो मेरा प्यार था, हमारा वन साइडेड लव था। इनका नहीं था, मेरा था, मैं इनसे प्रेम करता था। लेकिन यह वन साइडेड था। तो आप धक्के देते रहे हैं और अभी आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के बारे में आपने काफी विषय लिए हैं। आपको इस बात की पीड़ा है कि आपको विधायक प्राथमिकता में कुछ चीजें दी होंगी लेकिन आपको वहां नहीं बुलाया गया। मैं मानता हूं और आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन यह पूरी-की-पूरी जो धारणा बनी है, यह किसने बनाई? ज्यादा समय तक

आप लोग सत्ता में रहे हैं और ज्यादा समय तक आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी यहां मुख्य मंत्री रहे हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी विपक्ष में होते हुए वहां से बोलते रहे, जिन लोगों को आपने वहां अनकांस्टीटियुशनल अथॉरिटी बनाया था, आपने उन पट्टिकाओं पर एक जगह नहीं, हर जगह के ऊपर इनके विधान क्षेत्र के अंदर उनके नाम लिखे और आज आपको इस बात की बहुत पीड़ा हो रही है।

मुख्य मंत्री : मेरे यहां सिर्फ दो नाम श्री शिवलाल और चेतराम होते थे।

अध्यक्ष : अच्छा, आपके यहां दो लोगों के शिवलाल और चेतराम के नाम होते थे।

उद्योग मंत्री : इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, बात कहना बहुत आसान है लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। हमें तो यहां यह पता चला कि हमने 130 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस पर बोलने की मंजूरी भी नहीं दी। आपने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, इसी प्रकार का कन्टेंट हमने वहां बैठकर दिया था। लेकिन हमारी हिम्मत है, मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी यदि इस प्रकार का विषय लाए हैं तो उनको बोलने के लिए कहा गया कि वे यहां बोलें और सारे लोग अपने विषय को यहां रखें। लेकिन आपके समय में हर प्रकार की दमनकारी नीति रही है। आपने कभी इस इन्स्टीटियुशन को स्ट्रोंग नहीं होने दिया। आज आप नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मैं आपको इस सदन में इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नई पीढ़ी का ही काम है और नई पीढ़ी नए काम करेगी, नई पीढ़ी नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपकी तरह हम उसी धारा पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में नई चीजें आगे बढ़ें, नए कीर्तिमान स्थापित हों और नई परम्पराएं बनें। आप उस तरफ बैठकर तो अच्छे-अच्छे सिद्धान्तों और परम्पराओं की बात करते हैं और जैसे ही आप इधर आते हैं, आप हर चीज भूल जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस इन्स्टीटियुशन को डेलयूट करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है, कोई संस्था जिम्मेवार है, तो हमारे सामने बैठी जो पार्टी है वह जिम्मेवार है। जहां तक हमारी बात है तो जो विषय आपने रखा है, मैं इस विषय का समर्थन करता हूं और हम भी यह चाहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल अपोजीशन में

जब हल्की सी पीड़ा हम दे रहे हैं तो इसको सहन करने की शक्ति भी आपमें होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ही इस इन्स्टीटियुशन को डेलयूट किया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आज आप लोग यहां पूजा करने की दुहाई दे रहे हैं, सारी उम्र आप लोगों ने पाप किया है। लेकिन आज आपको लग रहा है कि पाप नहीं, पूजा होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपना व्यवहार व अपना आचार, चाहे आप पक्ष में या विपक्ष में हैं, एक जैसा रखेंगे, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जी का यह कहना कि भगत सिंह तो पैदा हों, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में हों, मेरे घर में न हों। अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। श्री जगत सिंह नेगी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय यहां लेकर आए हैं। मुझे कुछ बातें सुनकर प्रसन्नता भी है और कुछ हैरानी भी है। हम सब यहां विधायक हैं, बोलते हैं, तो विधायक ही हैं। इस सदन में शायद मुझसे पहले आने वाले एक ही विधायक हैं और वे इस समय सदन में नहीं हैं। वर्ष 1985 के बाद सभी आए हैं, मेरे साथी हैं। आदरणीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी उससे पहले से यहां विधायक हैं। वर्ष 1977 से वे विधायक हैं। मगर बाकी जितने श्री राम लाल ठाकुर जी और श्री वीरभद्र सिंह जी को छोड़कर, क्योंकि

11/12/2018/1255/MS/AG/1

ये 1983 में यहां विधायक बनकर आए। बाकी सब उसके बाद आए हैं। विधायकों का जो मान-सम्मान है उसको बढ़ाने में किसी को आपत्ति हो, ऐसा तो मैं नहीं मान सकती और न ही मुझे लगता है कि ऐसी किसी की मंशा है। यहां अपना दुःख व्यक्त किया जा रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ऐसा भी हुआ होगा मगर ऐसा भी हुआ कि मैं हाल ही में चम्बा में साहो में गई थी। मैंने वहां एक पट्टिका लगी देखी बल्कि मैंने गाड़ी वापिस करके दुबारा वह पट्टिका देखी। वह पट्टिका एक पुल के उद्घाटन की थी। वहां वीरभद्र सिंह जी की पट्टिका लगी हुई है और उसके नीचे बी0के0 चौहान जी विधायक का नाम लिखा हुआ

है। मैंने गाड़ी इसलिए पीछे की क्योंकि मुझे लगा कि मैंने गलत देखा है। ऐसा भी हुआ। जरयाल जी के चुनाव क्षेत्र में एक जगह मेन रोड में ही अगर हम जाएं तो वहां रविन्द्र रवि जी जब सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय की एक पट्टिका लगी हुई है कि उसका उद्घाटन रविन्द्र रवि जी ने कुलदीप सिंह पठानिया जी की मौजूदगी में किया । ऐसा भी हुआ। ये हमारे मुख्य मंत्री हैं और ये आपके मंत्री थे। यह बात निश्चित है कि आज की तारीख में न मुख्य मंत्री के कार्यालय से और न ही मंत्रियों के कार्यालय से किसी विधायक को कोई कार्यक्रम जाता है। Even out of decency नहीं जाता है। यह पहली बार हुआ है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूं। मैं वर्ष 1985 से विधायक हूं। हम कार्यक्रम में जाएं या न जाएं, बुलाने की मंशा हो या न हो। चाहे वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे या धूमल जी मुख्य मंत्री थे। हमारे समय में शांता कुमार जी कभी मुख्य मंत्री नहीं रहे, सांसद रहे। बतौर सांसद वे फोन करते हैं कि मैंने मीटिंग रखी है, समय हो तो जरूर आइएगा। धूमल जी मुख्य मंत्री थे तो उनका भी फोन आता था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप नहीं आएंगी। ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्रीः आपका फोन नॉट रिचेबल था।---(व्यवधान)---

श्रीमती आशा कुमारीः आप क्या कहना चाहते हैं क्या आपको मुझसे नफरत है? ---(व्यवधान)---अगर आपको उनसे प्यार था तो क्या मुझसे नफरत है? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? चलो, उनका फोन आता था और कहते थे कि मुझे मालूम है कि आप नहीं आएंगी।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा कि उनसे प्यार था।

श्रीमती आशा कुमारीः बोल तो यही रहे थे। ये क्या मुख्य मंत्री नहीं है? (interruption) You can have your opinion, I can have my opinion. उनका फोन आता था कि मुझे मालूम है कि आप नहीं आएंगी क्योंकि पार्टी का फंक्शन है मगर मैं मंदिर जा रहा हूं, वहां तो आ जाएंगे? जो पार्टी का फंक्शन नहीं होता था, वहां हम लोग जाते भी थे। जैसे मुकेश जी ने कहा कि जहां झण्डा ही बीजेपी का लगा दिया, वहां नहीं जाते थे। एक जगह उद्घाटन पट्टिका के साथ मैंने हंसराज जी को देखा है। ये चुराह में विधायक थे। हमारी पार्टी की मीटिंग शुरू हुई और ये वहां से उठकर चले गए। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम

अपना आचरण कैसा रखें। मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं है कि आप हमें बुलाएं या न बुलाएं। यह आपकी सोच हो सकती है लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि सरकारी संस्थानों में आपकी पार्टी के पदाधिकारी जोकि संवैधानिक पद पर भी नहीं है जाकर फंक्शन्ज में चीफ गैस्ट बन रहे हैं। यह गलत है। अगर आपको मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई संवैधानिक पद का व्यक्ति नहीं मिलता है तो जरयाल जी को भेज दीजिए ये विधायक हैं, ये शिलान्यास कर देंगे। हंसराज जी को भेज दीजिए ये विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, ये कर देंगे या जिया लाल जी या पवन नैय्यर जी को भेज दीजिए, ये कर देंगे। आपने एक-दो अध्यक्ष भी बना रखे हैं उनको भेज दीजिए लेकिन जो केवल पार्टी के ऑफिस बीयरर हैं और पंचायत के भी सदस्य नहीं हैं वे किस कपैस्टी में गवर्नमैंट स्कूल में जाकर फंक्शन में चीफ गैस्ट बन रहे हैं और प्रिंसिपल को फोन कर धमकी देते हैं कि अगर हमें नहीं बुलाया तो हम आपकी ट्रांसफर कर देंगे। यह गलत है और इस बात को आप भी मानेंगे कि ये गलत है। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरे नाम का कहीं कोई फट्टा लगे या न लगे। हमने जिन्दगी में अभी तक इतने फट्टे लगा दिए हैं कि अब अगर बाकी की बची जिन्दगी में फट्टे लगाते भी रहेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मुकेश जी ने कहा कि आप मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आए और जो ब्रिजिज हमारे समय के प्राथमिकता के थे, जिन पर काम लगा हुआ था उसमें लोगों ने आपसे फट्टा लगवा दिया। इसमें आपका दोष नहीं है क्योंकि आपको इस बारे में क्या मालूम है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है। लेकिन जिस ब्रिज पर काम पहले से ही लगा है उस पर

11.12.2018/1300/जेके/डीसी/1

आपसे शिलान्यास करवा दिया लेकिन कोई बात नहीं। आप मुख्य मंत्री हैं we have no objection to that. आप ऐसा करें इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपने हमें नहीं बुलाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी प्राथमिकता थी लेकिन हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूं कि आपत्ति इस बात की है कि पार्टी के पदाधिकारी चाहे वे कोई भी हों, आपकी पार्टी के पदाधिकारी यदि स्कूलों में जा कर मुख्य अतिथि बनेंगे यह नीति आपको स्पष्ट करनी होगी। This is a laid down policy that no political party or functionaries will go to a government school. Then how they are going

there? आपका कोई संवैधानिक पद पर चाहे आपने अध्यक्ष ही बना दिया हो, वह व्यक्ति जाए। उसको हम फिर भी मान लेंगें कि चलो वह आपका अध्यक्ष है, आपने बनाया है, you have Chairmen of Commissions, Corporations and Boards. उसमें हमारी ज्यादा आपत्ति नहीं है मगर विधायकों की जो आप बात कर रहे हैं, यहां पर चर्चा आई कि वीरभद्र सिंह ने क्या किया, वीरभद्र सिंह जी और हमारी सरकार ने लास्ट टैन्योर में जो विधायकों का मान-सम्मान बढ़ाया, बिक्रम सिंह जी आप भी उसमें signatory थे और आपने भी इस बात का धन्यवाद किया था। विधायक का जो मान-सम्मान चाहे किसी भी चीज़ में हो, वीरभद्र सिंह जी ने आपको और हमको इस स्थिति में पहुंचाया है कि हम समाज में अपना सिर ऊंचा करके बैठ सकें। मुकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मुझे एक दिन दिखा रहे थे कि हमने यह लिखा है। मैंने कहा कि यह लिख कर मत दो क्योंकि उधर (सत्ता पक्ष में) बैठे हुए लोग यह होने नहीं देते और यह हम सभी ने हमारे समय में भी देखा है। Resistance is never from the Chief Minister, the resistance is always from the bureaucracy. वे नहीं होने देते और न होने देंगे। On the other hand अगर कोई ब्यूरोक्रेसी की बात आएगी तो ये आपस में कितने भी लड़ते होंगे, ये सभी इकट्ठे हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हम अपने आप को 'as a Class' समझे that we are all MLAs'. याद कीजिए, इसी हाउस में आप ही के मुख्य मंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने विधायक निधि को इंट्रोड्यूस किया था । क्या विधायक नीधि हमको कम और आपको ज्यादा या आपको कम और हमें ज्यादा मिलती है? वह बराबर है। आपने उसको इंट्रोड्यूस किया और हमने उसको बढ़ाया। उसके बाद आपने और बढ़ाई। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम मज़बूत कर रहे थे, एक विधायक को हम मज़बूत कर रहे थे as an institution. एक-दूसरे के साथ हमारी कुछ जो रंजिश रहती है वह पर्सनल भी होती है। हमारा अपना आचरण कैसा है, हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? जय राम जी को तो चेत राम जी और शिवलाल जी का धन्यवादी होना चाहिए वे आपस में ही इतने बिज़ी

रहें कि ये मज़े करते रहे। कभी-कभी जो विपक्ष में होते हैं, वे ही आपके फायदे की भूमिका निभा जाते हैं। जब विपक्ष संगठित होता है, तब नुकसान होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहती हूं कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बात कही और even to an extent बिक्रम ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी ने भी कुछ बातें कहीं, वे सही है। लेकिन क्या हम इनको कंटीन्यू करना चाहते हैं? क्या हम यहां पर एक इतिहास नहीं रच सकते, जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने फैसला कर लिया कि कोई भी बोर्ड लगेगा उसमें सांसद का नाम जरूर होगा, वह आए या न आए। मेरे चुनाव क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर पर माननीय गडकरी जी के नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि उस सड़क का पैसा आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय मंजूर हुआ था मगर उसके बाद गडकरी जी, who became the Minister for Surface Transport, उनका लगा हुआ है। माननीय वीरभद्र सिंह जी का लगा हुआ है और शांता कुमार जी का लगा हुआ है और मैंने उसको स्वीकृत करवाया लेकिन हमारा उसमें कोई नाम नहीं है। मैंने उसमें इसलिए ऑब्जैक्शन नहीं किया क्योंकि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की यह पॉलिसी है कि स्टेट के मुख्य मंत्री का और सांसद का नाम लगेगा। तो चलिए पॉलिसी के तहत हमारा नाम नहीं लगा तो कोई बात नहीं मगर किसी और का भी नहीं लगा। जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि इनका नाम नहीं लगा और जिनको इन्होंने भारी मतों से हराया उसका नाम लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी यहां कोई ऐसी पॉलिसीबना लेनी चाहिए कि अगर विधायक निधि का पैसा है तो कम से कम इतनी तो विधायक को छूट हो कि विधायक निधि के पैसे से बनाई हुई चीज़ का विधायक ही उद्घाटन करें। प्राथमिकता की तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से सम्बन्धित होती हैं।

11.12.2018/1305/SS-DC/1

कुछ नाबार्ड से आती हैं, कुछ पी0एम0जी0एस0वाई0 से आती हैं, उनके अपने लेड डाउन नॉर्म्ज़ हैं। उसमें हो सकता है कि यह हमारे लिए सम्भव न हो। मगर जो स्टेट बजट से है उसमें हमें फॉर्म्यूलेट कर लेना चाहिए। मुख्य मंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है कि जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने बात रखी है कि हम फॉर्म्यूलेट कर लें कि कहां पर किसका नाम लिखा जायेगा। नहीं लिखा जायेगा, वह भी ठीक है। परन्तु किसका नाम नहीं लिखना चाहिए, वह भी हम फॉर्म्यूलेट कर लें। हमारा नाम न लिखें परन्तु किसका नाम लिखना चाहिए, इसका फैसला तो कर सकते हैं। यह नियम आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा और हमारे बाद जो लोग आयेंगे उनके लिए भी होगा। Nothing is permanent and today's election results have proved so. आज अभी रिजल्टस आ रहे हैं, न हम वहां पर (सत्तापक्ष में) परमानैंट थे और न आप परमानैंट हैं। आज आपको मौका मिला है, अगर आप अच्छा करेंगे तो उस अच्छे के लिए आप जाने जायेंगे। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो इतिहास में 'Just an another Government' के नाम से जाने जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो जगत सिंह नेगी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है, यह फॉर्म्यूलेट किया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए तथा उस पॉलिसी का समर्थन दोनों साइड से हो, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक भोजनोवकाश के लिए 2:15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

11-12-2018/1415/केएस/एचके/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः नियम-130 के अंतर्गत चर्चा जारी है। अब माननीय सुख राम चौधरी जी इसमें अपना विषय रखेंगें:

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी ने यहां पर नियम 130 के अंतर्गत चर्चा रखी है कि "अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे।" इस चर्चा पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में जब-जब सरकार का परिवर्तन होता है तो हमारे विपक्ष के मित्रों के अंदर तीसरा नेत्र जाग जाता है। जब हम उस तरफ बैठते हैं तो हमारे अंदर भी यही बात आती है। पिछले पांच वर्षों में जिला सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक थे। मुझे नहीं लगता कि पिछले पांच साल में एक भी पट्टिका, एक भी उद्घाटन पर उन तीन विधायकों का नाम लिखा होगा। हमारे स्पीकर साहब भी उसमें शामिल हैं। स्पीकर साहब की कन्सीच्युएंसी में तो हर छः महीने के बाद उस समय के माननीय मुख्य मंत्री महोदय के जाने का कार्यक्रम बनता था। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग इनके हारे हुए नेता मंच पर करते थे वह बहुत ही अशोभनीय होती थी, सुनने लायक नहीं होती थी। ऐसी-ऐसी भाषा वे स्पीकर महोदय के खिलाफ बोलते थे जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं भी वर्ष 2003 से 2007 तक अपोजीशन का विधायक रहा हूं । उस समय के माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जिस भी जनसभा में जाते थे, जनसभा सरकारी होती थी, कार्यक्रम कांग्रेस का बन जाता था, झंडा कांग्रेस का लग जाता था। आज इस संस्था को मज़बूत करने की बात कही जा रही है। हमारे शिलाई के विधायक श्री बलदेव तोमर जी थे। जब मुख्य मंत्री महोदय कोरिन का शिलान्यास करने गए तो

11.12.2018/1420/av/hk/1

उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर बोलने दिया जाए। लेकिन उनको कहा गया कि यहां पर समय की कमी है, आपको शिलाई जनसभा में बोलने का मौका दिया जायेगा। जब शिलाई गये तो कहा गया कि समय की कमी है। आपके कार्यकाल में अपोजिशन के विधायक को बोलने के लिए समय की कमी पड़ जाती थी। यह जरूर है कि अगर हमें इस संस्था को मजबूत करना है तो दोनों हाथों से तालियां बजनी चाहिए। दोनों तरफ से सम्मान व एक

तरह का व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का दिल बहुत उदार है। ये बड़े दिल वाले मुख्य मंत्री है इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इस विषय पर जितनी लम्बी डिबेट कर लो लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। यह केवल चर्चा के लिए चर्चा हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजिशन के विधायक के साथ तो प्रशासन भी इस तरह का व्यवहार करता है कि वह सोच से परे की बात है। इसलिए इस विषय पर हम सबको मन्थन करना चाहिए। हम यहां पर जो चुने हुए विधायक हैं; हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। हम चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें; इस संस्था को मजबूत करने की जरुरत है। विधायक का एक अपना प्रोटोकोल होता है और उसके अनुसार कम-से-कम उसका सम्मान तो होना ही चाहिए बाकी चाहे दूसरे काम हो या न हो। यहां तो सम्मान की भी कमी पड़ जाती है, यहां पर तो सम्मान भी नहीं मिलता। इसलिए विधायक प्राथमिकता या विधायक निधि की जो स्कीमें होती है उसके लिए मेरा यह मानना है कि उसमें विधायक का शिलान्यास और उद्घाटन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए क्योंकि विधायक उसके लिए बहुत जूझता है। वह उसके लिए प्रशासन और प्लानिंग में बात करता है। उसको जहां पर मौका मिलता है वह उसके लिए पूरी कोशिश करता है। उसको सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने विकास करने के लिए चुनकर भेजा होता है। एक विधायक अपोजिशन में रहकर भी बहुत मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उन पट्टिकाओं पर यथासम्भव हो सके क्योंकि एक ही नाम तो लिखना है और मेरे ख्याल से एक नाम लिखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर चाहे कोई मंत्री जाए या मुख्य मंत्री जाएं; उसको बुलाना चाहिए और उसका मान-सम्मान होना चाहिए। वहां के विधायक का जो संवैधानिक दर्जा है; उसको पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं तो इस मान्य सदन में इस तरह के विचार रखना चाहता हूं। चुनाव में किसने जितना है या किसने हारना है; यह तो चार-साढ़े चार साल के बाद प्रदेश की जनता ही तय करती है। कई बार काम करने वाले बहुत सारे विधायक भी हार जाते हैं और जो काम नहीं करते वे दोबारा जीत जाते हैं। इसलिए मैं इस पक्ष में हूं कि इस संस्था को मजबूत करना चाहिए और विधायकों का सम्मान अवश्य होना चाहिए ताकि यह

संस्था मजबूत हो। मैं यह बात इस मान्य सदन में कहना चाहता हूं परंतु हमारे मित्र चिन्तित है। काश! इन्होंने इतनी चिन्ता आज से चार-पांच साल पहले कर ली होती। मैंने जैसे कहा कि हमारे जिला सिरमौर से तीन विधायक थे मगर किसी भी पट्टिका पर एक भी विधायक का नाम नहीं है। उनको बुलाते भी नहीं थे और अगर वे कभी मंच पर जाते भी थे तो उनके लिए समय की कमी पड़ जाती थी। इसलिए दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके समय में एक नई प्रथा शुरू होनी चाहिए और इस संस्था को मजबूत करने के लिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल चर्चा में भाग लेंगे।

11-12-2018/1425/TCV/YK/1

अध्यक्षः डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल : माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आज इस माननीय सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इस विधान सभा का जो नाम व सम्मान है, वह बड़े सामर्थ्य और प्रयत्नों के बाद मिलता है। पार्लियामेंट में भी इस बात की चर्चा होती है कि हिमाचल प्रदेश की बहुत ही अच्छी विधान सभा है। अध्यक्ष महोदय, आज की जो ये चर्चा है, हम इसको आगे बढ़ाएं और आपके नेतृत्व में इस संस्थान को ऐसा सामर्थ्य और सक्षम बनाएं, ताकि हमारे जो विधायक है, जैसा कहते हैं कि सामर्थ्यवान को सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता न हो। जब विधायक का सम्मान हो तो वह सबको नज़र आए। ये जो कुछ घटनाएं दोनों पक्ष और विपक्ष के सामने आई है, it is not just to score a point by this way or that way. कुछेक घटनाएं ऐसी हो जाती है जो वेदनापूर्ण हो जाती है। यदि किसी बहुत अच्छे समारोह या बहुत अच्छे उस स्थान पर जहां पर विधायक को

होना चाहिए, वह वहां पर न पहुंचे या उस सम्मान से न पहुंचे जिस सम्मान से उसे पहुंचना चाहिए तो we are trying to weaken the democratic institution which should not be done. अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब है कि विधायक हो तो हो लेकिन आसपास न दिखे। ऐसा थोड़ा देखने में आया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी समारोह में आते हैं, वहां पर हमारे माननीय मंत्रीगण भी होते हैं, उनके सामने स्थानीय विधायक कोई अच्छा सुझाव या प्रस्ताव भी रख सकता है और लोगों में उसका सम्मान भी होता है। कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है कि अगर वहां स्थानीय विधायक मौजूद नहीं होगा तो they think we have soughted him out or something like that. That thing should not happen. जहां तक उद्घाटन का ताल्लुक है जोकि आज का विषय है, ये संवैधानिक रूप से भी एप्रोप्रिएट चीज है। अगर कोई भी उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा हो तो वहां पर स्थानीय विधायक का होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार निदेशक एम0पी0लैड से बात की थी, वे बड़े पुराने अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने क्यों इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि it will be indicated on the sanctions itself that it is given by the particular Member of Parliament. इसलिए आज जैसे माननीय विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी और नेता प्रतिपक्ष ने भी यह बात कही कि ज्यादातर सांसदों के नाम पट्टिकाओं में होते हैं। The reason behind it is that it is for the accountability and from audit point view it shows that this money has gone to a particular head. वह अनिवार्य भी है। जैसे कहते भी हैं कि हर चीज ट्रांस्परेंट हो और यह उस दिशा में एक कदम है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के आदेश बहुत पहले से दिए गए हैं। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक-दो बार नाराज़ हुआ कि जो चीजें हमने इतने परिश्रम से बनाई है, वे उन्होंने तोड़ दी। उसमें माननीय पूर्व विधायक श्री रविन्द्र सिंह रवि, श्रीमती विद्या स्टोक्स, राजा वीरभद्र सिंह जी और मेरा भी नाम था, जब वे सारी पट्टिकाएं ही ध्वस्त आई तो I had to call the police and I told them to file an FIR and let me know what are its results. लेकिन विभाग ने कहा कि हम 7 दिन में इनको बनाकर देंगे तो मैंने कहा ठीक है, परन्तु दोबारा से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। We must honour the institution of MLA because वह एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है, वे चुने हुए प्रतिनिधि तो है ही लेकिन वे और भी बहुत सारी चीजों को जाहिर करते हैं। And if Constitutionally

we make him strong तो इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं I suggest you if we make a policy decision and make atleast two or three things it will be on the right direction.

11-12-2018/1430/NS/YK/1

तो इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं if we take a policy decision and make atleast two or three things, it will be in the right direction. My first recommendation is that we should have definitely a place for an MLA in his constituency district where he can honorably sit down and listen to the problems of the people. Secondly, you must give some sort of recognitions to the MLA as now the Central Government has issued this directive that there will no flashes this is something on which I request Hon'ble Speaker to think over. There can be a flag or something like that. Finally a code should be given to each MLA. I find that there are many places where the MLA goes and is checked which makes him embarrassed and he loses his face. In this regard a code may be given to the MLA. In this regard we had requested Hon'ble Speaker last time also. I also request the Hon'ble Chief Minister on this occasion that if a code is given to each MLA the movement will be very smooth and it will also be in the right direction. These are few things which I personally feel that can be done. One more suggestion which I would like to give is that when a MLA writes a letter or note, it should be acknowledged. But normally it is not happening. An MLA feels bad when he writes something but it doesn't get the acknowledgement. Finally, in this regard, I would like to say that the suggestions given by Hon'ble Members of this Hon'ble House and the subject which was taken by Sh. Jagat Singh Negi Ji, I fully support it. Thank you Hon'ble Speaker, Sir.

अध्यक्षः कर्नल साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में बात कही। परन्तु कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहां से आप विधायक हैं, वहां से मैं भी विधायक रह चुका हूं। एक बार गलती से मैं भी महामाई के मेले में चला गया और मुझे आपकी मौजूदगी में भी बैठने का स्थान नहीं मिला। मैं वहां सिर्फ कार्यक्रम देखने के लिए गया था, कोई पट्टिका लगाने के लिए नहीं गया था। आपने स्वयं इस बात को महसूस किया कि जो वहां पर अन्य पार्टी के लोग थे, उन्होंने मेरे लिए एक कुर्सी खाली करने का कष्ट नहीं किया। फिर मैंने एक नगर पालिका के आदमी को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक कुर्सी तो ले आओ, मैं इस मेले में गलती से आ गया हूं, जहां से मैं 15 साल विधायक रहा और 5 साल नगर पालिका का अध्यक्ष भी रहा। अब माननीय गोबिन्द सिंह ठाकुर (वन मंत्री) चर्चा में भाग लेंगे।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जगत सिंह नेगी जी ने "अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे।" का प्रस्ताव यहां पर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहने, लिखने और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष में आज का वर्तमान विपक्ष था तो उस समय इन सारी बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए था और तब इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया। हम अपने विधान सभा क्षेत्रों में भी देखते हैं कि पूर्व सरकार के समय जब भी उद्घाटन या शिलान्यास हुए हैं, कभी भी कहीं पर भी हमारा नाम लिखना तो दूर, सरकारी तंत्र कार्ड देने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था और निमंत्रण पत्र भी नहीं आता था। उस समय दूसरा बहुत आसान तरीका था कि यदि इनको लगता था कि ये मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए हैं और हमें वहां जाना है। ये वहां जाने से पहले बहुत अच्छा तरीका निकाल लेते थे कि उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर कांग्रेस पार्टी के दो झंडे लगा देते थे ताकि दूसरी पार्टी के विधायक न आ सकें और यह कहने के लिए कि यह तो कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। ऐसे अनेक उदाहरण पूरे प्रदेश में ऐसे हैं

जहां हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र और जिला में देखा तो उस समय अपमानित करने का काम किया जाता था। उस समय जब भी हमने जनता के मुद्दों को लेकर बात की तो पांच वर्ष की सरकार ने पांच एफ.आई.आर्ज. हमारे ऊपर दर्ज कर दी। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री जय राम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि "पीढी तो बदली है" और माननीय मुख्य मंत्री जी नई सोच के साथ एक कदम आगे भी बढ़े हैं। हमने कई वर्षों से देखा है कि जब किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होती थी तो व्यक्तिगत छींटाकशी एक-दूसरे पर की जाती थी। श्री जय राम ठाकुर जी ने एक ऐसे राजनीतिक कल्चर को जोर दिया जहां ऐसी कड़वाहट कहीं पर भी नजर नहीं आती और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह ठीक है कि राजनीतिक मुद्दों पर हम आपस में चर्चा करते हैं और यह करनी भी चाहिए। विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है और सत्ता पक्ष का अपना काम है। लेकिन हर मुद्दे पर एक सौहार्दपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। आज हम बाहर कहीं भी जाते हैं, चाहे मीडिया जगत के लोग हों, चाहे आम जनता हो, वे कहते हैं कि इस सरकार के समय ऐसा कोई मुद्दा नहीं उछाला गया जिससे किसी को आपत्ति हो। इस सरकार के समय विकास के मुद्दों पर ही चर्चा की जाती है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, जनप्रतिनिधियों पर ध्यान देना यह निश्चित रूप से अनिवार्य है और यह सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम सत्ता में होते हैं तब भी हमें इस बात के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी जब आप सत्ता में थे तो आप इसका निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाए। जो प्रस्ताव आज आप लाए हैं वह निश्चित रूप से विचार करने योग्य है लेकिन जो काम आपने किए हैं वे भी आपको कहीं-न-कहीं याद आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री नन्द लाल जी।

श्री नन्द लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी प्रस्ताव लाए हैं कि 'अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से संबंधित जो शिलान्यास और उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार

करे' एक बहुत-ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्ली दी गई कि उस वक्त हमारे साथ यह हुआ परंतु कहीं-न-कहीं तो we will have to put a check on this. हमें कहीं तो रूकना ही होगा। अगर यह उस समय नहीं हुआ तो आप यह कर सकते हैं। एम.एल.एज. एक महत्वपूर्ण इंस्टिट्यूशन्ज हैं। We should not forget the fact that basically we are MLAs. उसके बाद मंत्री बनेंगे, उसके बाद मुख्य मंत्री बनेंगे। इसलिए इस इंस्टिट्यूशन्ज को स्ट्रोंग बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। खाली bypassing the buck कि आप करेंगे, हम नहीं करेंगे और हम करेंगे या वह करेंगे। अगर यह प्रस्ताव आज यहां पर आया है तो इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। एम.एल.एज. प्रायोरिटीज की जो स्कीम्ज हैं अगर उस पट्टिका में एम.एल.एज. का नाम लिख दिया जाए तो

11.12.2018/1440/बी.एस./डी.सी./-1

उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। It's not a very big deal.

ः दूसरी बात यह है कि बड़ी मुश्किल से लोग चुनाव जीत कर आते हैं उसमें आप लोग भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बात नहीं होनी चाहिए। उन सारी कठिनाइयों को पार करके हम यहां पर आते हैं और यहां पर छींटाकशी करना एक बहुत बड़ी गलती होगी । यही बात नहीं है जिस प्राकर आदरणीय डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी ने कहा और सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने भी काफी बातें सामने रखी थीं कि इस संस्थान को कैसे मजबूत किया जा सकता है। कुछ बातें पहले भी कही गई हैं परंतु उन पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस पर जरूर कार्य करें। अगर हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो चुनाव क्षेत्रों में हम सब का मान-सम्मान कोई नहीं करेगा। आज जो हो रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। ब्यूरोकेसी आज सरकार के ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है परंतु कह रहा हूं। हमारे यहां वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला होता है उस मेले में माननीय मुख्य मंत्री जी को as a Chief Guest for the closing ceremony आमंत्रित किया बया था। आप सभी इस बात को जानकर हैरान होंगे कि the Deputy Commissioner (Chairman of the Mela

committee) has not even bothered to welcome the Hon'ble Chief Minister as Chief Guest. एक ऐसे आदमी से जो कि पंचायत का मेंबर भी कभी नहीं रहा उसे माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत करवा दिया गया और ऊपर से उसने सड़कों के लिए धनराशि की घोषणाएं भी कर दी। हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी का सरकार बनने के बाद यह पहला दौरा था। हमारे क्षेत्र के लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत उम्मीदें थीं कि हमारे क्षेत्र के कल्याण कारी कार्य की बात-चीत होगी कुछ अच्छी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की जाएंगी। लेकिन लोकतंत्र का आज क्या हाल हो रहा है यह सब देख रहे हैं।

दूसरा पिछले दिनों से विधायकों के लिए गाड़ियों में फ्लैग की बातें होती रही हैं। हमें इस बात में कोई रूचि नहीं परंतु हम यह कहते हैं कि जो दूसरे लोगों ने फ्लैग रखे हुए हैं उनके पास किस नियम के तहत फ्लैग रखे गए हैं। जो ब्यूरोकेसी में लोग हैं यदि वे फ्लैग लगाते हैं तो विधायकों को क्यों इससे वंचित होना पड़ रहा है। यदि कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव है तो वह अतिरिक्त मुख्य सचिव ही लिखेगा। यदि हम विधायक हैं तो हमें विधायक लिखने में क्या हर्ज है? I will tell you. आज ही एक प्रश्न लगा था कि under which rules the following officers of the State are plying their vehicles with distinctive flags e.g. Chief Secretary; Additional Chief Secretaries; Financial Commissioners; DGP; IGP; and other people. उसमें सरकार का उत्तर है कि the distinctive vehicle flags in respect of dignitaries/officers have been allowed with the prior approval of CMM. That's all. What is so big deal that the Government cannot do it? आज सचिव है तो इतनी हावी हो चुकी है कि हमारे लिए उसमें दिक्कत आने वाली है। जो सुविधाएं वे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह कैबिने की अप्रूवल से नहीं हुआ है? यदि यह कार्य माननीय विधायकों के लिए भी हो जाए तो यह अच्छा रहेगा। क्योंकि उन्हें चम्बा तक जाना होता है, दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना होता है। कई बार विधायकों की गाड़ी को निकलने के लिए लोग जगह तक नहीं देते। यह सभी कार्य किए जा सकते हैं । यह कहना कि उस वक्त नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ऐसी बातों को बंद करना होगा। यदि हमें इस संस्थान को मजबूत करना है तो हमें सब को मिल कर कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी विधायकों की भी यही इच्छा है । कुछ पक्ष के

विधायकों की इच्छा है पर वह बोल नहीं पा रहे हैं। It is their compulsion that they have to say something. जिस सिप्रिट से हम बोल रहे हैं उस स्प्रिट को ये भी समझते हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं परंतु इनकी मजबूरी है कि इन्हें कुछ-न-कुछ बोलना है। रही बात कि पूर्व के मुख्य मंत्रियों ने क्या किया? मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो बेतन था वह कितना कम हुआ करता था। आज भी हम पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। We are very well placed now financially. हमारे खर्चे कितने होते हैं आप सभी जानते हैं। हमारी कितनी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को पूर्व के मुख्य मंत्री ने समझा है। आज यदि हमारी अच्छी वित्तीय स्थिति है तो we should be thankful to the former Chief Minister, Raja Virbhadra Singh. आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं । आप स्वयं को ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकालो । यह जो आदरणीय नेगी जी ने यहां पर प्रस्ताव लाया है यह पूरे संस्थान के लिए एक अच्छी बात रहेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11/12/2018/1445/RG/DC/1

अध्यक्ष : अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां बहुत विस्तार से माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो शिलान्यास एवं उद्घाटनों का संबंध है, यह ठीक है कि एक विधायक को मजबूत करने के लिए ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं और ये बिल्कुल उचित हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में ऐसी भावना होती है कि मैं जितने फट्टे लगाऊंगा, उतने ही लोग मेरे शुभचिन्तक बन जाएंगे। मैं तो भुक्तभोगी हूं। मेरे

यहां कोई गांव, रास्ता या कोई सड़क नहीं छोड़ी, 490 शिलान्यास और भूमि पूजन मेरे वहां किए गए हैं। जिसमें से 250 तो सड़कें ही सड़कें हैं।

अध्यक्ष : आपने किए या दूसरों ने किए?

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिद्वन्दी ने किए। अब एक हजार रुपये का बजट होता था। वहां एक जे.ई. है, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि लोगों की मेन्टेलिटी कैसी है कि उसने अपनी सेलरी से 85,000/-रुपये दिए और अभी 6,00,000/-रुपये उसको और देने को है। वहां 65,000/-रुपये के फूल लगते हैं, वहां मिठाई भी लगती है, बाजे वाले भी ढूंढने पड़ते हैं, पण्डित जी को भी ढूंढना पड़ता है और फिर वहां असली बासमती चावल खिलाया जाता है। तो आप बताएं कि किसी स्कीम में एक हजार रुपये का बजट में प्रावधान है और 50,000/-रुपये का खर्चा होता है। तो क्या आप सभी ऐसी बात पर सहमत हैं? किसी भी स्कीम का टोकन बजट में जब पड़ता है तो उसके लिए जब 70% पैसा आता है तब पूरी फॉरमलटीज करने के पश्चात उसके टैण्डर होते हैं। लेकिन वहां केवल मात्र प्रशासनिक अनुमोदन लेकर के ऐसे-ऐसे खर्चे किए कि कई बाबू अपने आप ही ट्रांसफर करवा कर वहां से चले गए। जब काम कम्पलीट हो जाए, तो उसका उद्घाटन करना तो हम मानते हैं। यह विकास एक लंबी प्रक्रिया है। जब आप कोई काम छोड़ जाते हैं तो उसका उद्घाटन हम कर देते हैं और हम किसी स्कीम का शिलान्यास करते हैं, तो उसका उद्घाटन आप करते हैं। लेकिन मेरे यहां अभी तक बिल्डिंग्ज कम्पलीट ही नहीं हुई हैं और उद्घाटन हो चुके हैं। दस स्कूलों के भवन के लिए दस-दस लाख रुपये आया और एक-एक करोड़ रुपये के टैण्डर करवा दिए। अब उन्होंने तीन-तीन मंजिलें डाल दी हैं। लेकिन पैसा कोई नहीं है। ठेकेदार नोटिस दे रहे हैं। तो उनको पेमेन्ट कौन करेगा? यदि आपके पास माकूल पैसे नहीं हैं, तो उन कामों के लिए टैण्डर कैसे कर दिए? इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में जो भी प्रावधान होता है और ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर की गाड़ी चलती है तो उसकी गाड़ी का पैट्रोल भी उसी स्कीम के बजट से डाला जाता है। कोई भी खर्चा उसी से होता है, उसकी हैण्ड शीट, फर्जी बिल इत्यादि उसी से बनते हैं। तो फेक बिल आपकी किसी दूसरी स्कीम से वे डालेंगे। इसलिए जो यह फिजूल खर्ची है, मैं उसके लिए सभी से यह निवेदन करूंगा कि इसको बंद किया जाए।

पत्थर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जो यह बात कही जा रही है कि हमें कार्यक्रमों में कोई बुलाता नहीं है। तो अरे, भाई वहां तो सफोकेशन होती है। वहां आपका या हमारा आदमी जो पहले खड़ा होगा वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। अब या तो उसकी उठने की स्थिति बन जाएगी या फिर वहां पर मल्लयुद्ध होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा तो दूसरा वहां पर कुछ कह देगा। इसलिए जिस तरीके से यह सब चल रहा है उसको उसी तरीके से चलने दीजिए। इस बात को मैं मानता हूं कि विधायक को बैठने के लिए कमरे वगैरह की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे काम जो गलत तरीके से किए गए हैं, वे नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं तो स्वयं भुक्त-भोगी हूं। मेरे वहां तो ऐसे-ऐसे काम किए गए हैं कि एक-एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला गया है। किसी स्कूल में तीन बच्चे हैं और तीन ही मास्टर हैं। अगर कहीं चार बच्चे हैं तो चार ही मास्टर हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि इन स्कूलों की क्लबिंग कीजिए लेकिन वहां भी उद्घाटन हुए। एक ही पंचायत में 6 प्राथमिक स्कूल हैं और एक ही दिन में दो-तीन स्कूल खोल दिए। लोग भागीदारी करके कार्यक्रम में बासमती तो खिला देते हैं लेकिन बाकी खर्चे विभाग वहन करता है। हालांकि आपने कहीं शिलान्यास या भूमि पूजन करना है तो पहले लोग कन्ट्रीब्यूशन दे देते थे। इसलिए ऐसी परम्पराओं और ऐसी मानसिकताओं को बदलना होगा और शिलान्यास और भूमि पूजन में कम-से-कम खर्च होना चाहिए। कोई भी अफसर मिठाई का डिब्बा तो ले आएगा लेकिन बाजे और फूलों के हारों के पैसे वह नहीं देगा और जो बासमती वहां खिलाई जाएगी उसके पैसे भी वह नहीं देगा। उसके फेक बिल बनते हैं। मैंने ठेकेदारी की है इसलिए मैं सबकुछ जानता हूं कि क्या होता है। ठेकेदार को कहा जाता है कि 40 हजार रुपये आप दे दो। पहले तो फेक हैंडशीट्स का चलन था लेकिन अब वह बन्द हो चुका है लेकिन ऐसे फेक बिल बनते हैं। आप मुझे बोलिए मैं कितने ही फेक बिल ढूंढकर ला सकता हूं। इसी तरह से ये जो डिसिल्टिंग हुई होती है वह धरातल पर नहीं हुई होती है। मेरे वहां पर सड़कों के फेक बिल बने हुए हैं। ----(घण्टी)--- तो इस तरीके से इस सरकारी पैसे का दुरूपयोग यदि हम जनता के चुने हुए नुमाइन्दे करेंगे तो लोगों में ठीक मैसेज नहीं जाएगा। वहां स्पॉट पर क्या पैसे लगेंगे? अगर किसी भी काम की सैंक्शन मिल जाती है तो उस काम को कीजिए। वह आपका राइट बनता है, कीजिए। लेकिन पैसा कोई नहीं है। ये तो वही बात हुई कि "माल

मालिक दा और मशहूरी कम्पनी दी"। ऐसा नहीं है कि उस पैसे का प्रबंध हम कर रहे हैं। इस बार बरसात में सारी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए तीन महीने लगे। इस तरीके से अगर फिजूलखर्ची विधायक करेंगे तो सही नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर पहले ही 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ है। इसलिए यदि ऐसा काम करेंगे तो धरातल पर क्या काम होगा? वहां कोई काम नहीं होगा। कई जगह लोक निर्माण विभाग वालों ने अपना फट्टा लगाया हुआ है कि यह काम लोक निर्माण विभाग का है। मैंने उनको बुलाकर कहा है कि आप लिखकर दो कि हमारे पास कोई बजट प्रोविजन नहीं है इसलिए अगर इस काम को पंचायत करना चाहती है तो हमारा कोई ऐतराज़ नहीं है। वहां 14वें वित्तायोग से वे रास्ते अब बनना शुरू हुए हैं नहीं तो वह सारा-का-सारा काम बन्द हो गया था। आप हमारे वहां देखेंगे कि कहीं कोई रास्ता नहीं है और कई जगह इकट्ठी 6-6 शिलान्यास पट्टिकाएं लगी हुई हैं।

11.12.2018/1455/जेके/एचके/1

माननीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया लेकिन ऐसी परम्पराएं डालना ये पब्लिक रैप्रीज़ैंटेटिव्ज़ के साथ और लोगों के साथ मज़ाक है। इसका आज नहीं पता लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा तो परसों लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे। (अनुपस्थित)

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी ने नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा है कि "अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे।" यह बहुत अच्छा प्रस्ताव माननीय विधायक के द्वारा यहां पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता यदि इस प्रस्ताव की चिन्ता इन्होंने तब की होती जब ये स्वयं सरकार के अन्दर थे। हमने इस बात को ले कर एक बार नहीं अनेकों बार नियम-

130 के अन्तर्गत चर्चा मांगी। अनेकों बार विधान सभा के अन्दर हमने इस विषय को उठाया लेकिन आपकी सरकार के समय इस विषय को ले कर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि नियम-130 के अन्तर्गत इस चर्चा को यहां पर लाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर हारे हुए नेताओं तथा चेयरमैनों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम विपक्ष में थे तो शायद आपको इन बातों का ध्यान नहीं रहा होगा। मैं अन्य विधान सभा क्षेत्रों का जिक्र न करता हुआ अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी भी आए थे। वहां खयोड़ में कार्यक्रम हुआ और लोक पंचायत में भी माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। जब मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के पक्ष को ले कर वहां पर बात करनी चाही तो वहां के जितने भी पदाधिकारी थे, उनकी ओर से इस बात को कहा गया कि विधायक वहां पर अपनी बात को नहीं रख सकता । हमने आपसे कहा कि मैंने बात रखनी है क्योंकि इस जनसभा में 60 प्रतिशत से ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता आए हुए हैं। आपने वहां पर बोलने का समय दिया लेकिन आपके तीन पार्टी के कार्यकर्त्ता जो मेरे पीछे खड़े थे, मैंने दो ही बातें की थी कि कहने लगे कि समय हो गया। जब भी मैं दो बातें कहता था तो वे कह देते कि समय हो गया, माननीय मुख्य मंत्री को जल्दी है इसलिए आप अपनी

बात समाप्त कर दो। हमें हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हमें भी लगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत व्यस्त शैड्यूल होता है, उनको एक नहीं अनेकों जगहों में जाना होता है।

11.12.2018/1500/SS-HK/1

लेकिन जब हमने वहां पर संक्षिप्त में अपना भाषण खत्म किया तो उसके बाद जिन हारे हुए नेताओं का यहां पर ज़िक्र किया जा रहा है, वही हारे हुए नेता मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद आधा-आधा घंटा भाषण देते रहे। भाई विक्रमादित्य जी ने भाषण दिया, उसके बाद संजय डोगरा जी ने भी भाषण दिया। छोटे नहीं बल्कि बहुत लम्बे-लम्बे भाषण करते रहे। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर अभी ध्वाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 490 शिलान्यास इनके विधान सभा क्षेत्र में आपकी सरकार के द्वारा किये गए। जितने भी शिलान्यास किये गए उसमें एक हजार रुपये बजट का प्रोविजन रखा गया था। उस एक हजार रुपये के बजट के बदले में आपने जो शिलान्यास के कार्यक्रम किये, उसमें 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का खर्चा सरकार के द्वारा करवाया। मैं समझता हूं कि अगर वह खर्चा कहीं सड़कों के निर्माण कार्य को करने के लिए लगाया होता तो शायद आप उस विधान सभा क्षेत्र में हारते नहीं बल्कि जीतते। यह मैं कहना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिला चम्बा के हमारे पूर्व विधायक, श्री बी0के0 चौहान जी का ज़िक्र बीच में आया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जब 1998 से लेकर 2003 तक हमारी सरकार प्रदेश में थी तो उस समय वहां पर श्री टेक चंद डोगरा जी विधायक हुआ करते थे। जब वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम होता था या उस समय में रहे मंत्रियों का कार्यक्रम होता था तो टेक चंद डोगरा जी का नाम पट्टिका पर लिखा होता था। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात को लेकर हम चिन्ता कर रहे हैं, इस बात की चिन्ता हमें उस समय भी करनी चाहिए थी जब आप लोग सत्ता में थे। यह बात मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। बाकी मैं ज्यादा लम्बी बात न करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी, श्री जगत सिंह नेगी जी जो प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत लेकर आए हैं, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। सभी मेम्बर्ज़ ने अपनी-अपनी बात रखी, मैं उसे सुन रहा था। मुझे लगता है कि आज का सारा दिन एक ही टोपिक पर हम लोगों ने व्यतीत कर दिया। विषय बड़ा क्लीयर है कि बड़े लम्बे समय से सरकारें आईं, सरकारें बदलीं, उधर के लोग इधर आए और इधर के लोग उधर गए और इस प्रकार यह प्रथा चलती आ रही है। विषय बड़ा क्लीयर है कि आप इस प्रथा को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। जितने मेम्बर्ज़ साहिबान बोले, सभी ने उनके चुनाव क्षेत्र में उनके साथ क्या-क्या हुआ, वह व्यथा उन्होंने सुनाई। क्योंकि यह जो हुआ, हमारे साथी जो उधर बैठे हैं उनके साथ भी हुआ। जब उधर वाले साथी इधर थे तो इनके साथ भी हुआ। बहुत सारी चर्चा नई सरकार बनने के बाद शुरू हुई है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं से तो नई शुरूआत होगी। सरकार को सीधा बोलना चाहिए कि क्या आप इस प्रथा को बंद करके नई प्रथा शुरू करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, अच्छा होता कि यहां विधान सभा लगी है पूरा प्रदेश व देश आपको देख रहा है, अगर यहां पर हम चर्चा करते कि हमारे प्रदेश की फाइनेंशियल हैल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए कोई नई पॉलिसी हम बनाएं और उस पर चर्चा करें। नए-नए कार्यक्रम लेकर आएं जिससे हमारी वित्तीय स्थिति ठीक हो। हम केन्द्र से कोई योजना लेकर आएं, कोई पैसा लेकर आएं जिससे प्रदेश ठीक हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। --(व्यवधान)-- मैं उसी बात पर आ रहा हूं। पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।

11-12-2018/1505/केएस/वाईके/1

मैं यह कह रहा हूं कि प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह सदियों से चला आ रहा है। क्या सरकार ठीक से नई शुरूआत करना चाहती है या नहीं? इतना लम्बा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। दूसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब पिछला बजट सैशन हुआ था, उसमें यह चर्चा आई कि कई जगह शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ दी गई । आपने विधान सभा के पटल पर यह बात कही और आदेश किए थे कि एक-दो महीने के अंदर सारी पट्टिकाएं दोबारा लगाई जाएंगी। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार का आदेश नहीं मान रही है। सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में चार पट्टिकाएं उस समय की तोड़ी गई है। विभाग को कई बार बोला जा चुका है लेकिन मुख्य मंत्री के आदेश की इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, क्या मुख्य मंत्री उन अधिकारियों पर एक्शन लेंगें जिन्होंने आपके आदेश नहीं माने?

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समय-समय पर हर सरकार ने, हर मुख्य मंत्री ने अपना योगदान दिया परन्तु पिछली सरकार में राजा वीरभद्र जी ने इस इंस्टीट्यूशन को मज़बूत करने के लिए जो काम किया, मुझे लगता है कि वह ऐतिहासिक था और हमारे दोनों तरफ के साथी इस बात को मानते हैं कि इसको मज़बूत करने के लिए राजा साहब ने जो आदेश किए, जो इम्पलीमेंटेशन की, हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी में सभी प्रदेशों की विधान सभाओं में इस बात की चर्चा हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजा साहब ने जो किया, वह तो इतिहास में लिखा गया लेकिन आपसे भी लोगों को उम्मीद है कि आप भी कुछ नया करेंगे । पीटर हॉफ में मीटिंग हुई। उसमें बहुत लम्बी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि उस पर अभी तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हुई है। आप सरकार हैं, आप अधिकारियों को आदेश दें और जो इम्पलीमेंट होने वाले इशूज़ हैं, उनको इम्पलीमेंट करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी जो प्रस्ताव इस सदन में ले कर आए हैं निश्चित रूप से

यह बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय सभी सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। मुझे भी इस पर बोलने का मौका मिला, अध्यक्ष जी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और विधायक की क्या स्थिति है, वैसे तो प्रोटोकोल में विधायक चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर है लेकिन वास्तव में उसकी क्या स्थिति है यह सभी लोग जानते हैं। इंस्टीट्यूशन को मज़बूत किया जाना चाहिए, यह भी आवश्यक है लेकिन आज जो पीड़ा विपक्ष के साथियों की है, जो दर्द इनको है, हम जब विपक्ष में बैठते थे तो हमारा भी यही दर्द था। हम लोग भी उस समय पांच साल तक इस बात को समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाते थे। हमने कई बार प्रयास किया कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिलती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की और आज इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है । पिछले पांच सालों में हमें अपनी बात दूसरे माध्यम से कहनी पड़ती थी उसमें चाहे जो भी अन्य प्रस्ताव आते थे या जब बजट सत्र होता था, उसमें हम अपनी बात रखते थे। लेकिन हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी लेकिन आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि पिछले 5 साल हम लोग जब पूर्व मुख्य मंत्री जी के पास कोई भी काम ले कर जाते थे, विशेष रूप से अगर मैं अपनी बात करुं तो जब भी हम कोई कागज़ देते थे, सीधा आगे दे दिया जाता था ।

11.12.2018/1510/av/yk/1

उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मगर आज चाहे पक्ष का विधायक है या विपक्ष का है; कोई भी जब माननीय मुख्य मंत्री के पास जाता है तो उसकी पूरी बात सुनी जाती है। उसमें चाहे विकास के काम हों या स्थानांतरण के मुद्दे हों; वर्तमान सरकार में बिना किसी भेदभाव के पक्ष और विपक्ष के काम किए जाते हैं। अगर यहां पर हम पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करें तो उस समय अनेकों शिलान्यास व उद्घाटन हुए। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां तो इस प्रकार की स्थिति थी कि वहां के हारे हुए नेता को पूर्व सरकार के समय में कैबिनेट का स्टेटस दिया गया था। मुझसे हारा हुआ

व्यक्ति लोगों के बीच में जाकर यह कहता था कि यहां का मुख्य मंत्री मैं हूं। यहां के जो भी काम होंगे उसमें से जो मैं चाहूंगा वही होंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं होंगे। यहां तक कि विधायक प्राथमिकता की स्कीमें जिनको प्राथमिकता में मैंने डाला और उनकी डी0पी0आर0 बनवाई तथा उनके लिए पैसा स्वीकृत हुआ मगर उसके बाद मुझसे हारा हुआ व्यक्ति उनका शिलान्यास कर रहा था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में डिंगर किनर-डिंगर सिकर-बगैण घाट-बंटी घाट सड़क को विधायक प्राथमिकता में डाला था जिसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। मगर उस सड़क का भूमि पूजन और शिलान्यास का काम मुझसे हारे हुए व्यक्ति ने किया। यही नहीं, ऐसे अनेक कार्य हैं जो कि विधायक निधि से हुए थे मगर उनके शिलान्यास और उद्घाटन उस हारे हुए नेता ने किए। हद तो तब हुई जब 50,000/- रुपये की सड़क के शिलान्यास पर 75,000/- रुपये की राशि खर्च की गई। साथ में सरकारी अमला जाता था, ऐसी स्थिति थी। यही नहीं, पिछली सरकार के समय में 'ओन लाईन' शिलान्यास की प्रथा शुरू की गई। शिमला से ही बहुत सारी योजनाओं का ओन लाईन शिलान्यास किया जाता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 11 सड़कें ऐसी थीं जिनके ओन लाईन शिलान्यास हो गये। मेरे यहां सरकार के जाते-जाते दो कालेज खुले। वहां पर कालेज तो खोले गए मगर उनके लिए बजट केवल 1-1 लाख रुपये रखा गया और फिर उनके ओन लाईन शिलान्यास हो गये। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य थे जिनके ओन लाईन शिलान्यास हो गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व सरकार के समय में हारे हुए व्यक्ति द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की स्कीमों के शिलान्यास और उद्घाटन किए जाते थे। यह ठीक है कि विधायक निधि की स्कीमों का शिलान्यास और उद्घाटन सम्बंधित विधायक द्वारा किए जाने चाहिए। यहां इस विषय पर चर्चा हो रही है और इन्स्टिच्यूशन को मजबूत भी किया जाना चाहिए। लेकिन हमें दुःख इस बात का है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को इतना जल्दी लेकर आया है क्योंकि अभी तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल को एक साल का समय भी नहीं हुआ है। हमने भी पिछले 5 साल बहुत कुछ झेला है, आगे-आगे देखते हैं। पिछले समय में तो यहां तक होता था कि स्कूलों में ऐनुअल फंक्शन होते थे तो प्रधानाचार्य

को बाकायदा यह हिदायत दी जाती थी कि आपने मेरे अलावा किसी और को बुला लिया तो आपका ही नहीं यहां के पूरे स्टाफ का स्थानांतरण कर दिया जायेगा। वहां के स्कूल के प्रधानाचार्य और दूसरे स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि विधायक को बुला सकें। वहां पर हारे हुए नेता का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया जाता था और स्कूलों में राजनीतिक भाषण दिए जाते थे जिसमें बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें होती थीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार का कार्यक्रम चलता था।

11-12-2018/1515/TCV/AG/1

जो प्रस्ताव माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसके बारे में सारी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी जो सूची मेरे पास आई है, उसके हिसाब से 10 सदस्य और बोलने वाले हैं। सभी का विषय एक ही है और सभी की भावनाएं आ गई है। यदि एक व्यक्ति सत्ता पक्ष से और एक व्यक्ति विपक्ष से बोलें तो इसको समाप्त करते हैं क्योंकि सभी ने अपना-अपना विषय रख दिया है। अब आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने का अवसर दीजिए। वरना अभी और भी नाम आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं माननीय सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं, वे चर्चा में भाग लिए शामिल माने जाएंगे। श्री मोहन लाल ब्राक्टा, श्री राकेश जम्वाल, श्री लखविन्द्र सिंह राणा, श्री बलबीर सिंह, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री हीरा लाल और श्री आशीष बुटेल जी । ये ठीक है, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी (विपक्ष) इधर से और श्री राकेश जम्वाल जी (पक्ष) उधर से बोलेंगे के तत्पश्चात् मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे सदन में इस बात पर सहमति जाहिर की और मुझे बोलने का अवसर दिया। हम जो

नये चुने हुए सदस्य हैं, हमारे लिए एक युग परिवर्तन हुआ और यह युग परिवर्तन नया व्यवहार लेकर आया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से इस संस्थान को मजबूत किया जाये। इस पर सभी विधायकों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखी। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इस बार 25 नये माननीय विधायक चुनकर आये हैं। इस विधान सभा में 1/3 माननीय सदस्य ऐसे आये हैं जो पहली बार चुनकर आये हैं और यहां पर एक नया स्वरूप हम पिछले एक साल से देख रहे हैं। जब हम दिल्ली एक प्रशिक्षण के दौरान गये थे तो वहां पर जब सारे नये विधायक इकट्ठे हुए तो हमने यह तय किया कि एक ऐसे व्यक्ति को अपना संयोजक माना जाये जो माननीय मुख्य मंत्री जी के बहुत करीब हो। इसके लिए श्री राकेश जम्वाल जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे चुना गया। श्री होशियार सिंह जी को कैशियर के रुप में चुना गया। हमारे लिए यह नया-नया दौर था।

11-12-2018/1520/NS/AG/1

मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी आपका स्वभाव सरल है और मुझे लग रहा है कि आपको कुछ अधिकारी कई बातों को ले करके गुमराह कर रहे हैं। मुझे इस बात की हैरानी है कि 42 विधायक across party line थे और इनमें से अधिकतर विधायक आपके थे जो एक पत्र लिख करके देते थे तथा इस पत्र के ऊपर जो हास्य व्यंग्य किया गया, मुझे इन सारी बातों का ज्ञान है। हम जानते हैं और आज यही वज़ह है कि आपके आदेश के बावजूद एक भी बात आज धरातल पर नहीं उतरी है। हम माननीय ध्वाला जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। वे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे थे। मैं पूर्व में रहे विधायक का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री जी से जो काम करवाये हैं, वे सच में सराहनीय काम थे।

अध्यक्षः माननीय ठाकुर साहब आप बैठिए। माननीय शिक्षा मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगत सिंह नेगी जी का प्रस्ताव बड़ा स्पैस्फिक है। विधायक को शिलान्यास, उद्घाटन और विशेषकर जो विधायक प्राथमिकताएं हैं, उनसे संबंधित बात करनी है। अपनी अमैनिटीज़ के बारे में हाउस की

अमैनिटीज़ कमेटी बनी हुई है और कभी भी यह परंपरा नहीं रही है कि हम अपनी अमैनिटीज़ के बारे में हाउस में डिस्कस करें। पहले क्या हुआ, यह अमैनिटीज़ कमेटी का सवाल है, यह हमारा आपस का विषय है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार की चर्चा इस माननीय सदन में न की जाए तो यह हाउस की स्वस्थ परंपरा के हक में है। इसके साथ ही प्रस्ताव से विषयांतर हो करके जो बात कर रहे हैं, वे इस प्रस्ताव में नहीं आनी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय ठाकुर साहब, जो विषय यहां पर रखा है, वह ठीक है। हम केवल उसी विषय तक सीमित रहें। विषय अब समाप्ति की ओर है और आप अपनी बात दो मिनट में रखें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री जी ने बात कही है कि अमैनिटीज़ कमेटी में ये बातें आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो बातें हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को दी हैं, इन पर जहां भी चर्चा करना चाहें, आप करें। लेकिन जब हमारी सरकार के मुख्य किसी बात को कहते हैं तो उस बात पर गौर होनी चाहिए। जहां-जहां माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए हैं तो मेरी पूरी कोशिश रही है और मैं हर कार्यक्रम में गया हूं तथा जोरदार तरीके से हमने इनका स्वागत किया है। लेकिन यहां पर बात इस इंस्टीच्यूशन को मज़बूत करने की आ रही है कि यह इंस्टीच्यूशन मज़बूत कैसे हो? ---(व्यवधान)--- बोलने का मौका मिला था लेकिन जो क्रम संख्या थी, वह आपकी मर्ज़ी अनुसार थी। आपने हारे-नकारे का क्रम बाद में रखा और मेरा क्रम पहले रखा। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ---(व्यवधान)--- माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारा स्वागत करने का जोश उनसे ज्यादा था और वे आधे-अधूरे मन से आपका स्वागत कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय ठाकुर साहब, आप मेरी तरफ देख करके बात करें। बात खत्म होनी चाहिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि और आपने एक पत्र निकाला कि all the DPRs which have been prepared will be forwarded to the NABARD only if the present MLA gives consent for that. यह आपके आर्डर्ज़ पास हुए। यह आपकी सुविधा थी और आपकी पार्टी के लोग ज्यादा जीत कर

आए थे, 42 विधायक नये चुन कर आए थे, जो पिछली बार नहीं थे तथा बड़ी संख्या होने के नाते आपने ऐसे आदेश जारी किए और हमें भी इसका फायदा हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सच में हम जो 25 नये विधायक चुन करके आए हैं और मेरे ख्याल से वे सभी इस बात के लिए एकमत होंगे, हमारे पास तो ऐसा कुछ कहने को नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ? हम तो आपसे सिर्फ यह उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आगे के लिए एक स्वस्थ परंपरा या वातावरण पैदा किया जाए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ई-विधान की तरफ इस विधान सभा को अग्रसर किया है। आज हम ई-कांस्टिचुएंसी मेनेजमैंट के ऊपर बात कर रहे हैं। सारी-की-सारी प्रोसीडिंग्ज़, नोटिसीज़ या प्रश्न ऑन लाइन भेज रहे हैं

11.12.2018/1525/RKS/YK-1

यह एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसे वक्त पर उद्घाटन पट्टिका पर नाम है या नहीं है परंतु आजकल सोशल नेटवर्क इतना अच्छा है कि उससे ज्यादा प्रचार-प्रसार हो रहा है। लेकिन चुने हुए विधायक या जनप्रतिनिधि का मान-सम्मान होना चाहिए। जो जिलाधीश हमारे समय में आपको कार्ड नहीं देते थे और आपके समय में हमें कार्ड नहीं देते हैं, वे चाहते हैं कि अगर हम विपक्ष के प्रति खिझलाहट दिखाएंगे तभी वे अपने नम्बर आपके सामने बना पाएंगे जोकि एक अच्छी परंपरा नहीं है। आपको लैंड गिफ्ट करने के लिए लोगों को लामबंद करना पड़ रहा है। फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए जब तक वन विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. के बीच कोओर्डिनेशन नहीं होगा तब तक फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं होगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, जो उद्घाटन पट्टिकाएं हैं, उन पर सभी विधायकों के नाम आने चाहिए। यही हम उम्मीद रखते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी कृपया दो मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री राकेश जम्वालः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेगी जी ने जो नियम-130 के अंतर्गत चर्चा के लिए विषय लाया है- 'शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं में विधायकों को अधिकार मिलना चाहिए' इस विषय को लेकर काफी देर से सदन में चर्चा हो रही है । यह भी कहा गया कि इस संस्थान को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाओं में विधायक का नाम आने मात्र से यह संस्थान मजबूत नहीं होगा। हम सब को इसके लिए मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अनकों साथियों और वरिष्ठ लोगों ने यहां पर इसके लिए बहुत-से सुझाव भी दिए लेकिन जहां तक संस्थान को मजबूत करने की बात है इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों के इंस्टिट्यूशन्ज को मजबूत करने के लिए केंद्र की योजनाओं के उद्घाटनों और शिलान्यास में सांसदों का नाम आना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया है। सांसदों को कार्यालय मिलना चाहिए और यह काम भारतीय जनता पार्टी के महान स्पूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विपक्ष के लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि पीछे क्या होता रहा। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक-दूसरे के प्रति किस तरह का व्यवहार हो और पूर्व में क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। पब्लिक मीटिंग में मक्कड़झंडू , टोंडे व झोलाछाप से लेकर अनेकों प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते थे। लेकिन हम प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि इन 11 माह के कार्यकाल में कोई चुना हुआ प्रतिनिधि यह बता दें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी प्रकार का कोई अपशब्द प्रयोग किया हो। प्रदेश में जो पुरानी प्रथाएं हैं, ऊपर की राजनीति, नीचे की राजनीति, टोपी की राजनीति, इन सभी प्रथाओं को बंद करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नए इतिहास की शुरूआत की है। माननीय मुकेश जी, संख्या बल के न होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़े खुले मन से काम किया। ...(व्यवधान)... सकारात्मक रूप से हम सब मिलकर काम करे। हमारी सरकार किसी प्रकार की द्वेष भावना से काम नहीं कर रही है। ...(व्यवधान)...

11.12.2018/1530/बी.एस./डी.सी./-1

हिमाचल प्रदेश में राजनीति की सारी पुरानी बातों को भूला करके नये अध्याय की शुरूआत हुई है। आदरणीय विधायक श्री नन्द लाल जी ने लवी मेले का जिक्र यहां किया है। मुझे भी ध्यान है मैंने भी यह खबर अखार में पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणय वीरभद्र सिंह जी को भी उस मेले की सांस्कृतिक संध्या में बुलाया गया था और उनको सम्मानित किया गया । यह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में ही संभव हुआ है। एक दूसरे के प्रति मान-सम्मान न केवल हम इस माननीय सदन में करें परंतु जनता के बीच में भी वह मान-सम्मान होना चाहिए। जहां तक कुछ विषय यहां पर आदरणीय भाई सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने रखे हैं और मैं समझता हूं कि हम सभी ने इन विषयों पर गहन चर्चा की है और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह सब बातें हैं । बहुत जल्द उसमें सार्थक परिणाम आएंगे और इस संस्थान को मजबूत करने के लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी बहुत अच्छे कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी अब इस सारी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा नियम 130 के अंतर्गत यहा पर हुई है। माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी ने विधायकों के अधिकारों के संबंध में और साथ ही साथ विकास कार्यों में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं में उनका नाम लगे, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी गहन चर्चा यहां पर हुई है । बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातें इस चर्चा के माध्यम से कही हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी सुझाव दिए गए और जो भी आग्रह किए गए हैं उन सब का अभिन्नदन करता हूं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है कि अगर विधान सभा के पुराने

रिकार्ड में देखेंगे तो इसी भाव का प्रस्ताव मैं खुद इस माननीय सदन में ले करके आया था। जब हम इस बात का जिक्र करने की कोशिश करते थे कि हम सब विधायक बराबर हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम चुन करके आए हैं इसलिए हमें एक-दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा न कि दूसरा कोई हमारा ख्याल रखने के लिए आएगा। मैं आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का सभी विधायकों की और से और अपनी और से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्व सरकार में हमारी सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। लेकिन विषय यह आता है कि क्या सुख-सुविधएं ही हमारा एक मात्र लक्ष्य है? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय मान- सम्मान का है। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं । सुख-सुविधाओं से ज्यादा यदि हमारे लिए कुछ है तो वह सम्मान का विषय है और होना भी चाहिए। उस दृष्टि से हम अपनी बात कहते रहे हैं। हमारी विधायक निधि व अन्य भत्ते बढ़ गए उसके लिए हमने इस माननीय सदन में धन्यवाद भी किया। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि एक चीज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह हमारा स्वाभिमान, अभिमान और सम्मान है। मैं अपनी विधान सभा की उन पट्टिकाओं की फोटों भी उस वक्त यहां पर लाया था जिन्हे तोड़-तोड़ कर फैंका गया था। हमने कहा था कि सारा विषय बहुत ही महत्व का विषय है।

11/12/2018/1535/RG/HK/1

लेकिन उसके बावजूद वह एक कमी उस समय छुट गई थी। आज फिर से इस विषय को लेकर इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है और इस विषय को फिर से यहां उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां कोई बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं कहनी है, मैं केवल दो-तीन चीजों का जिक्र यहां करुंगा। क्योंकि यहां सबके विषय एक जैसे आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सभी के अलग-अलग उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब भावनाएं एक हैं तो मुझे लगता है कि सबके व्यक्तिगत विषय जिनका यहां जिक्र किया गया, उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम पिछला उदाहरण देते हैं तो ये हमारे मित्र सामने से कहने लगते हैं कि आपको तो जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे लोग एक

जगह हैं और आप एक अलग जगह हैं। लेकिन मैं भी एक विधायक रहा हूं और उस समय भी एक विधायक था। अगर हम बात करें तो यह एक हकीकत है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरी सेवा में दो लोग बहुत ही ईमानदारी से लगाए हुए होते थे। कई बार तो ऐसी भी परिस्थितियां हो गईं कि सड़कों के भूमि पूजन के ऐसे भी कार्यक्रम वहां हुए कि एक ने पहले कर दिया और दूसरे ने फिर दुबारा किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन सारी बातों को लेकर अब कितनी दूर जाया जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 11 महीने के इस कार्यकाल में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं आई कि जब हमने चुने हुए विधायक को शब्दों के माध्यम से आहत किया हो या उनकी व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया हो। जहां विधायक जाते हैं, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, संभव होता है तो बोलने का अवसर भी देते हैं। जिन-जिन विधान सभा क्षेत्रों में मैं प्रवास पर गया हूं तो ऐसा एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। मैं 68 विधान सभा क्षेत्रों में से लगभग 60 विधान सभा क्षेत्रों का प्रवास करके आया हूं। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक चीज को लेकर कहा गया कि मुख्य मंत्री कार्यालय से इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब आपने सुझाव दिया है और सुझाव का मैं अभिनन्दन करता हूं। अगर कहीं छूट गया है और आप चाहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री कार्यालय से इसकी सूचना विधायक को मिलनी चाहिए तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि जब हम किसी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कोई उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए जाते हैं तो वहां के अधिकारी जिस विभाग से संबंधित वह कार्यक्रम होता है, उस विभाग का कार्ड वहां के विधायक को पहुंचता है और इसके साथ उनको बुलाया भी जाता है, उनको बोला भी जाता है। लेकिन वह बात ठीक है कि बहुत आग्रह के साथ नहीं बोलते होंगे और यह परिस्थिति मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार आई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी राजा साहब जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वहां काफी आते थे। जब हमने इनसे पूछा कि आप इतना क्यों आते हैं तो इन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। ये वहां आते थे और बहुत सारी चीजों की घोषणाएं भी करते थे। लेकिन हम बिना बुलाए चले जाते थे और कई बार हम अपमानित भी हुए। अगर बोलने की बात आती थी तो हमारा नाम काट दिया जाता था। लेकिन फिर भी हमने बीच में दो शब्द बोलने की कोशिश की और कई बार ऐसा हुआ। लेकिन जो बात आपने यहां कही है तो हम आने वाले समय में इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां भी किसी विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री या मंत्री का

सरकारी कार्यक्रम उद्घाटन या शिलान्यास का जो भी होगा, उस कार्यक्रम की सूचना विधायक को जानी चाहिए। वैसे आमतौर पर यह सूचना जाती है बी.डी.सी. के चेयरमैन, जिला परिषद के मेम्बर, उस एरिये के पंचायत के प्रतिनिधि या प्रधान इत्यादि को सूचना जाती है। लेकिन आप इस बात को सिरे से खारिज़ कर रहे हैं। अगर कहीं कमी रही हो तो उसको सुधार करने की गुंजाईश है और मैं मानता हूं कि उसको सुधारना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, आशा कुमारी जी ने बहुत ही व्यक्तिगत बोलकर मुझे कहा कि आज से पहले हमें सब फोन करके बुलाते थे और हमें सूचना देते थे। तो मैंने भी कोशिश की, मैं सच कह रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई। हां, उसके बाद एक बार बात हुई थी, लेकिन उस समय सच कह रहा हूं कि आप रीचेबल ही नहीं हो पाईं।

11/12/2018/1540/MS/AG/1

वह एक कमी रही, जब मैं वहां के कार्यक्रम में आ रहा था। आपके पास पार्टी की जिम्मेवारी रहती है और आप इधर-उधर भी जाती रहती हैं। आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब की जिम्मेवारी का भी निर्वहन करना होता।

श्रीमती आशा कुमारीः शायद आपके पास मेरा नम्बर नहीं होगा।

मुख्य मंत्रीः मेरे पास वही नम्बर है और जो नम्बर मेरे पास होगा, वह मैं आपको बता दूंगा। कोई नया नम्बर होगा तो अलग बात है। मेरा नम्बर और नाम वही है जो पहले था। मेरा न नाम बदला है और न ही नम्बर बदला है। आज मैंने मुकेश जी से भी आपके फोन नम्बर के लिए कहा था। जिस दिन मैं आपके विधान सभा क्षेत्र में पुल का उद्घाटन करने के लिए गया था उससे एक दिन पहले मैंने उस नम्बर पर दो बार आपको व्यक्तिगत रूप से फोन किया था। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको सुधारा जा सकता है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कार्यक्रम में आएं तो आपको मंच पर स्थान मिलना चाहिए और आपको मंच पर बैठना चाहिए। बोलने की गुंजाइश अगर समय के हिसाब से होती है तो बोलने का अवसर भी आप लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन यह बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो भावनाएं आज आप व्यक्त कर रहे हैं उन भावनाओं को हम पिछले 20 वर्षों से इस माननीय सदन में व्यक्त कर रहे हैं। आप हमारी भावनाओं की क्यों कदर

नहीं कर पाए, यह भी सोचने का एक विषय है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। हम खुले मन से काम करने वाले लोगों में से हैं और खुले मन से काम करेंगे भी। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हम अपने संस्थान को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो दूसरा कोई बाहर से मजबूत करने के लिए नहीं आएगा, यह तो आप मानकर चलिए। यह तो होगा ही कि कभी आप होंगे और कभी हम होंगे। कभी एक होगा और कभी दूसरा होगा। ऐसी परिस्थितियां होंगी लेकिन व्यवस्थाएं जो बनाकर रखी हैं उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। यह एक साल पुरानी बात है और चुनाव से कुछ दिन पहले की है। मेरे ख्याल में चुनाव की घोषणा होने से तीन-चार दिन पहले की यह बात रही होगी। एक दिन मैं सुबह कहीं जा रहा था। एक विधायक प्राथमिकता का पुल था जो टूट गया था। उस पुल का सी0आर0एफ0 के तहत हमने यहां से ऐस्टीमेट बनाकर दिल्ली पहुंचाया और गडकरी जी से व्यक्तिगत रूप से उसके लिए 2 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाकर लाया क्योंकि उसकी वजह से गांव का रास्ता ही बन्द हो गया था। एक दिन सुबह-सुबह मैं वहां से जा रहा था तो मैंने देखा कि सुबह सात बजे लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पुल के साथ कुछ काम कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोककर पूछा कि यहां क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यहां उद्घाटन हो रहा है। मैंने कहा कि उद्घाटन करने कौन आ रहा है? उन्होंने बताया कि कोई नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कि फिर कैसे उद्घाटन हो रहा है? उन्होंने कहा कि यह फट्टा भेजा हुआ है और उन्होंने सामने रखे हुए फट्टे को मुझे दिखाया। मैंने कहा कि ये फट्टा कहां से लाया? उन्होंने कहा कि इसका कल सर्किट हाउस मण्डी में उद्घाटन हुआ है। सर्किट हाउस मण्डी की दीवार पर पट्टिकाएं टांग दी गईं और उद्घाटन की रस्म वहां पर हो गई है। इस तरह की अलग-अलग चीजें हैं। यानी कुछ चीजें अटपटी सी लगती हैं। चलो, एक चीज ऐसी हो सकती है लेकिन ऐसी भी परिस्थिति हुई कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आपका एक विदाई का दौर था, जब शहनाई बज गई थी कि बाबुल की दुआएं लेती जा, उस वक्त आपने पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल खड़ा किया कि 100-100 पट्टिकाएं दीवार पर टांग करके एक जगह से उनका उद्घाटन कर दिया। जिस विधायक को वहां से चुना हुआ है और जिस विधायक ने विधायक प्राथमिकता में उस योजना को डाला हुआ है तथा जिसके लिए उस विधायक ने मेहनत की है, उसको उद्घाटन का ही पता नहीं है। उद्घाटन का फट्टा किसी लेबर वाले के पास पहुंचाकर वहां

लगा दिया। ये सारी चीजें हुई हैं और इससे हम सब लोग बहुत आहत हुए हैं। ---(व्यवधान)--- ऐसा है कि हम मनुष्य की मैमोरी बहुत कम होती है और वक्त के हिसाब से हम पुरानी यादों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा याद करवा रहा हूं कि ऐसे दौर में से हम तो वर्षों गुजरें हैं आपको तो 11 महीने ही हुए हैं। ---(व्यवधान)--- वह मैं नहीं कहूंगा।

दूसरी एक बात और कही गई कि मंत्री अपने विधान सभा क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सभी मंत्रियों की महीने की एक-दो डेट तो विधान सभा क्षेत्रों में जाने के लिए तय की हुई है जिन तारीखों में इनको पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है।

11.12.2018/1545/जेके/वाईके/1

हम जन मंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जाते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी । आपके दौर में भी मंत्री कहां जाते थे उन सारी चीजों की यदि चर्चा करें तो मुझे लगता है कि अपना समय खराब करने वाली बात है। अधिकांश समय मंत्री अपने विधान सभा क्षेत्र में होते थे लेकिन हमने एक स्थापित व्यवस्था से हट करके कुछ प्रयत्न किए हैं। यहां पर श्री राकेश सिंघा जी ने कहा, आप कुमारसैन में हमारे साथ आए, वहां पर हमने बहुत प्यार, प्रेम से बातें की। एक मंच पर हम लोग थे और हमने मंच सांझा किया। आपको भी बोलने का अवसर मिला। आपने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया और उनमें से जो करने योग्य था, उसका हल करने की कोशिश भी हुई लेकिन जब आएंगे ही नहीं तब कोई काम करना मुश्किल हो जाता है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इस दृष्टि से हमने कुछ जगहों पर प्रयत्न किए हैं। जहां तक आपने कहा कि हमने राकेश को बुलाया था मेरे तो सभी लोग नज़दीक है, राकेश तो है ही लेकिन आप भी दूर नहीं है। इन सारी बातों की आपने हमसे चर्चा की है। उन पर बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक और छोटा सा विषय था, आप लोगों ने कहा कि हम लोगों को कई बार चण्डीगढ़ और दिल्ली में हिमाचल भवन व सदन में अकमोडेशन नहीं मिल पाती है। हमने उसमें एक क्लॉज़ लगाई थी क्योंकि जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो उस वक्त चण्डीगढ़ हिमाचल भवन और दिल्ली के हिमाचल भवन व सदन छोड़ दिए गए थे क्योंकि वहां पर हमारी इन्टाइटलमैंट इसके लिए नहीं थी। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके हमने आदेश जारी कर दिए हैं । अब दिल्ली हिमाचल भवन व सदन में और चण्डीगढ़ के हिमाचल भवन में अगर अकॉमोडेशन नहीं है तो अन्य जगह आपको अकॉमोडेशन मिल सकती है। Subject to the condition जो ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए आपकी आउटर लिमिट का अमाउंट है, उसके अन्दर ही यह होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरे, जिस बात को ले कर हमने कहा और मेरे साथियों ने भी कहा कि एक स्थान बैठने का होना चाहिए। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने पूरे देश भर में एक व्यवस्था की कि सांसद के लिए जो पार्लियामैंट कंस्टिट्यूएंसी का हैड क्वार्टर है, वहां पर उठने-बैठने और जन समस्याओं के समाधान के लिए उनको उचित सरकारी अकॉमोडेशन मिलनी चाहिए। वह अकॉमोडेशन सभी को मिली है। हमारे पास चार सांसद हैं तो चारों जगह पर उनको उचित स्थान मिला है। यह परम्परा शुरू हुई है और शुरूआत अच्छी हुई है। विधायकों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। घर में जब लोग आते हैं तो परिवार वालों को समय देने में कठिनाई होती है क्योंकि जब हम लोगों को घरों में बुला करके उनकी समस्याओं के समाधान की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार वालों को भी बहुत बड़ी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के पास लोग आएंगे तो वे अपनी सुविधा के हिसाब से आएंगे। हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चुने गए हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं-न-कहीं बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, यह हम अनुभव कर रहे हैं और बहुत समय से मांग कर रहे हैं। हमने इस बारे में चर्चा की है और हम एक दिशा की ओर बढ़े कि जहां-जहां पर भी हमें अकॉमोडेशन मिलती है, चाहे वह एस0डी0एम0 हैड क्वार्टर है, बी0डी0ओ0 हैड क्वार्टर है और चाहे वह तहसील हैड क्वार्टर है, जहां पर भी उचित व्यवस्था मिल पाती है उसके

लिए हम एक कमरे की और उसके साथ-साथ एक स्टाफ के आदमी को भी बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक सुझाव और भी आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। वह सुझाव है कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, वहां तो मिनी सचिवालय बना हुआ है और वहां पर डी0सी0, एस0डी0एम0 या दूसरे अधिकारी बैठते हैं, वहां तो व्यवस्था हो जाती है लेकिन बी0डी0ओ0, एस0डी0एम0 और तहसील ऑफिसिज़ में जो अकमोडेशन है, at present वहां पर जो स्टाफ है, उनको भी वहां पर प्रॉपर अकॉमोडेशन नहीं है। फिर एक और भी बात आई कि अगर हम बोल दें कि एस0डी0एम0 ऑफिस में विधायकों के लिए व्यवस्था की जाए लेकिन कई बार विधायक कहते हैं कि एस0डी0एम0 ऑफिस उन्हें सूट नहीं करता क्योंकि उनके घर के नजदीक तो तहसील ऑफिस पड़ता है । कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि तहसीलदार का ऑफिस उन्हें सूट नहीं करता इसलिए

11.12.2018/1550/SS-YK/1

मुझे बी0डी0ओ0 ऑफिस में दीजिए। इसलिए एक कंफ्लिक्ट था जिसकी वजह से हम एक निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और कहां यह अकोमोडेशन होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि फिलहाल फॉर दी टाइम बिइंग हमने यह विचार किया है कि फिलहाल एस0डी0एम0, तहसीलदार, बी0डी0ओ0 के ऑफिस में कोई अगर अकोमोडेशन आपको मिलती है जो आपको सुविधाजनक हो कि यहां-यहां हमको अकोमोडेशन बैठने के लिए दे दें तो आप उसके बारे में लिखकर दें। लेकिन हम इसमें स्थाई व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमने विचार किया है कि मुख्य मंत्री लोक भवन जो 30 लाख रुपये की लागत से हमने बनाने की घोषणा की है, कुछ जगह वह घोषणा हुई है और कुछ जगह अभी तक वे सारे प्रस्ताव लम्बित हैं, अगर सबकी सहमति हो और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ सकें तो ठीक होगा। क्योंकि जहां विधायक बैठेगा वहां पर एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए जहां पर पब्लिक के उठने-बैठने के लिए एक स्थान बनना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप में उठने-

बैठने के लिए एक स्थान बनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उसमें सब लोगों की सहमति बनती है, उस दृष्टि से मुझे कुछ जगह से बहुत सारे साथियों की ओर से सुझाव आए हैं कि अगर पहला मुख्य मंत्री लोक भवन ऐसे स्थान पर बनाएं जो कांस्टीचुऐंसी का हैडक्वार्टर हो। वहां पर उसके साथ-साथ यह व्यवस्था भी जोड़ें कि विधायक के लिए अलग से ऑफिस की अकोमोडेशन बना करके तैयार की जाए। इस विषय को लेकर आपके सामने मैंने यह प्रस्ताव रखा, आप उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को सूट नहीं करता है वह उसके हिसाब से बोलेगा कि यह मेरे को सूट नहीं करता, मैं इसे एडॉप्ट नहीं करूंगा। मैं सूट करने की बात कह रहा हूं। अगर सबको यह स्वीकार्य होगा तब हम इस बड़ी इंवैस्टमैंट के लिए जायेंगे। 30 लाख रुपये का लोक भवन भी और उसके साथ-साथ में विधायक के बैठने का कार्यालय भी उसके साथ सुनिश्चित करेंगे। तो एक स्थान हो जायेगा जहां लोगों को भी मिला जा सकता है और लोग विधायक से अलग कमरे में मिलकर बात भी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से मैंने एक सुझाव आपके समक्ष रखा। यही एक कारण है जिसकी वजह से यह विषय थोड़ा लम्बित रहा क्योंकि हमारा सामूहिक रूप से उठना-बैठना, मिलना-जुलना उतना नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको अभी तक लम्बित रखा हुआ है।

तीसरा विषय और भी है। बात झंडी की आती है। झंडी के बारे में आप लोगों ने कहा कि झंडी ये कौन लोग लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। झंडी जिसने लगाई, वह उस पर छोड़ दीजिए। हम अपने में क्या कर सकते हैं। उस व्यवस्था को लेकर सोचने की आवश्यकता है। पिछली बार हमने एक निर्णय किया था कि शायद झंडी व्यावहारिक नहीं हो पायेगी। ऐसे भी हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अगर हमें बिना पैसे के छोटी-सी चीज़ मिल जाए तो उसका भी बड़ा बतंगड़ बनता है। माननीयों के लिए यह कर दिया, यह सारी बातें होती हैं। स्वाभाविक रूप से होती हैं। इसलिए हमको उन सारी चीज़ों पर भी विचार करना है। समाज का दृष्टिकोण हमारे प्रति बहुत अच्छा है, ऐसा

नहीं है, मैं यह आपको बता रहा हूं। हम जितना मर्ज़ी करें लेकिन उसके बावजूद वह अलग तरीके से ही सोचता है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बात को लेकर विचार किया है कि कुछेक प्रदेशों में एक व्यवस्था की गई है। उसमें गाड़ी में फ्लैग नहीं है लेकिन उसमें 'Emblem' का प्रावधान किया है। एक दो जगह से हमने डिटेल ली है, वह 'Emblem' हमारे पास आया है। उसमें थोड़ा विचार किया जा रहा है कि उसको अंतिम रूप क्या दिया जा सकता है तो उसको बनाने पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। ये दो-तीन चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाह रहा था जो हमारी पिछले बार की कमिटमैंट थी। आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। मैंने एक बात कही कि जो आपका रूम के रैंट से जुड़ा हुआ विषय था कि अगर चंडीगढ़, दिल्ली नहीं मिलता है तो उस सूरत में हमको होटल की अकोमोडेशन के लिए गुंजाइश दी जाए। उसके साथ दूसरी दो बातें 'Emblem' और बैठने के स्थान के बारे में हैं। इन सारी बातों को लेकर हमने बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस दिशा में आगे बढ़ करके हम निर्णय करने की स्थिति में पहुंच जायेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने सुझाव दें, अपनी बात कहें। हमको व्यक्तिगत और लिखित रूप से भी सुझाव दे सकते हैं ताकि हम आगे बढ़कर उस समस्या का समाधान कर सकें। एक और बात कही गई। राणा जी ने बात कही कि इनके विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर टूटे हैं। मेरा यह मानना है कि यह बहुत गलत परम्परा है। विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते अगर कहीं पर किसी की पट्टिका लगती है तो उसका आदर-सम्मान होना चाहिए, निरादर नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए

11-12-2018/1555/केएस/एजी/1

मैं विभाग को आदेश कर रहा हूं, अपने सभी अधिकारियों को आदेश कर रहा हूं कि जिस भी विभाग में कहीं भी अगर विधायक की या मंत्री की पट्टिका तोड़ी गई है तो उसको एक महीने के अन्दर-अन्दर तुरन्त रीस्टोर किया जाए। उसको रीस्टोर करना हमारा दायित्व है और यह होना ही चाहिए। बाकी जो आपने कहा कि विधायक का नाम पट्टिका पर होना

चाहिए तो विधायक का नाम तो दिल में होना चाहिए, पट्टिका पर क्या करना है लेकिन आपने यह सुझाव दिया, मैं उसको सहजता से ले रहा हूं, गम्भीरता से ले रहा हूं और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे ध्यान में जो यह विषय लाया गया है, this is under active consideration और जो भी औपचारिकताएं आने वाले समय में करने की होंगी, उचित समय पर इस पर निर्णय लेंगें, यह मैं कहना चाहता हूं।

जहां तक विधायक इंस्टीट्यूशन की बात है, उसके प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव हम सभी का रहना चाहिए, यह बहुत लाज़मी है। जब हम कभी बोलते भी हैं तो शालीनता हो क्योंकि लोग सभी कुछ देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है और कई बार शब्द दिल पर इतना प्रहार कर देता है कि उस घाव से उभरने के लिए बहुत समय लग जाता है । इसलिए हम सभी की कोशिश होनी चाहिए और मेरा यह मानना है कि राजनीतिक दृष्टि से अपनी-अपनी जगह हमने अपनी बात कहनी है लेकिन फिर भी सब्र में, संयम में हम जितनी बात कह सकते हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विधायक संस्थान के सन्दर्भ में बहुत सारे सुझाव जो माननीय सदन में हमारे सभी माननीय विधायकों ने दिए, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधायक संस्थान को मज़बूत करना हम सभी का सांझा काम भी है और हम आने वाले समय में निश्चित रूप से इन सारी बातों का ध्यान रखेंगें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः नेगी जी, इसमें स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है, .. (व्यवधान).. डिस्क्रीशन भी नहीं है। आपको तो मालूम है, आप तो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें नियम मालूम है लेकिन आपकी डिस्क्रीशन भी है। इतनी लम्बी डिस्कशन हुई है । विधायक प्राथमिकता पर मुख्य मंत्री जी का क्या नज़रिया है?

अध्यक्षः इसमें डिस्क्रीशन का प्रावधान नहीं है।

अब माननीय सदन की बैठक बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018 **सचिव** .